खंड 4

खंड परिचय

राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के स्वरूप

राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व के प्रतिमान पिछले खंड में आपका परिचय सरकार के मुख्य स्वरूपों से कराया गया जिनका वर्गीकरण शक्तियों के पृथक्करण (अर्थात् संसदीय और अध्यक्षात्मक स्वरूप) और शक्तियों के प्रादेशिक विभाजन (अर्थात्, संघीय और एकात्मक स्वरूप) पर आधारित है। इस खंड में तुलनात्मक राजनीति के एक इतने ही महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे-अभिकर्त्ता और प्रक्रियाएँ जो समाज और सरकारों को जोड़ते हैं। इस खंड में चर्चित प्रधान अभिकर्त्ताओ में राजनीतिक दल और दबाव समूह शामिल हैं। हमारे पास चुनावी प्रक्रियाओं पर भी एक इकाई है जो इस विषय पर केंद्रित है कि राजनीतिक प्रक्रिया में प्रधान अभिकर्त्ताओ को निर्वाचन प्रणालियाँ कैसे प्रभावित करती हैं।

व्यक्तियों के रूप में, हम में से बहुत कम लोगों का राजनीति में प्रभाव होता है। नीतियों को प्रभावित करने के लिए हम रूचियों या कार्यक्रमों में ऐसे ही रूझान वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं। हम सभा और संघ के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और भाषण की स्वतंत्रता का प्रयोग समूहों के निर्माण या उनमें शामिल होने के लिए करते हैं ताकि लोक नीतियों को प्रभावित करने या उन नीतियों को रूप देने के लिए शक्ति प्राप्त की जा सके। राजनीतिक दल सर्वाधिक, सबसे शक्तिशाली और प्रकट रूप से अनिवार्य संगठन होते हैं। क्या ये वांछित हैं या एक आवश्यक बुराई ? पर्यवेक्षकों ने लोकतंत्र के लिए दलों के महत्वपूर्ण होने के अनेक कारण प्रस्तुत किए हैं। राजनीतिक दल क्या हैं और समाज के अन्य राजनीतिक समूहों से वे किस प्रकार भिन्न हैं ? दल व्यवस्थाएँ क्या हैं और उनमें विविधताओं के कारण क्या हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दलों और दल व्यवस्थाओं पर इस खंड की पहली इकाई में उठाए गए हैं।

इस खंड की **इकाई 7** दबाव समूहों पर केंद्रित है, जो समाज और सरकार को आपस में जोडने वाला एक और महत्वपूर्ण संगठन है। राजनीतिक दलों की तरह न होकर, दबाव समूह सत्ता पर कब्ज़ा करने के स्थान पर, उन शक्तियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जो लोक नीति का निर्माण करती हैं। ये संगठन या समूह क्या हैं? लोक नीति को प्रभावित करने के लिए ये कौन-सी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं? लोकतांत्रिक राजनीति में इनकी भूमिका क्या है? क्या गैर-लोकतांत्रिक राजनीति में इनकी कोई भूमिका होती है? इन प्रश्नों को इस खंड की **इकाई 8** में उठाया गया है।

एक उदारवादी लोकतंत्र ऐसा कहलाने के लिए केवल तभी योग्य है जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों। इसका अर्थ ये है कि मताधिकार सभी नागरिकों के लिए खुला है और मतों की गिनती निष्पक्ष तरीके से होती है। इस कथन के बावजूद, इसमें भी रूपभेद हैं। इस खंड की **इकाई 9** में हम निर्वाचन नियमों के जटिल प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो ये तय करते हैं कि मत कैसे डाले जाएँगे, उनकी गिनती कैसे होगी और उन्हें एक विधानपालिका की सीटों में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे, इन व्यवस्थाओं में व्यापक भिन्नताएँ होती हैं और ये राजनीतिक शक्ति के वितरण में भारी अंतर लाते हैं।

इकाई 7 राजनीतिक दल और दल व्यवस्था *

संरचना

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 राजनीतिक दल

7.3 दलों के कार्य

7.4 दल और दलीय व्यवस्थाएँ

- 7.4.1 द्वि-दलीय व्यवस्था
- 7.4.2 बहु-दलीय व्यवस्था
- 7.4.3 एक दलीय व्यवस्था

7.5 दलीय संगठन के विकास की कुछ प्रवृत्तियाँ

7.6 सारांश

7.7 संदर्भ

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

राजनीतिक दल लोकतंत्र की औपचारिक परिभाषा का हिस्सा नहीं होते। इसके बावजूद, ये संगठित राजनीति में अपरिहार्य और एक लोकतंत्र के सर्वाधिक दृश्यमान संस्थाए बन गए हैं। यह इकाई राजनीति में राजनीतिक दलों और दलीय व्यवस्थाओं की भूमिका का परीक्षण करती है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

- राजनीतिक दल की परिभाषा देना;
- एक लोकतंत्र में दलों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करना;
- विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं की पहचान करना;
- दलीय नीति और संगठन के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना और;
- एक लोकतांत्रिक संरचना में राजनीतिक दलों के महत्व का विश्लेषण करना।

7.1 प्रस्तावना

प्राचीन यूनान में, एथेन्स के नगर-राज्य ने प्रत्यक्ष-लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था का प्रयोग किया जिसमें नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते थे (यद्यपि नागरिकता बालिग पुरूषों तक ही

* डॉ. प्रियवंदा मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, सिंबाओसिस लॉ स्कूल, नोयड़ा, उ.प्र.

सीमित होती थी और दास और महिलाएँ बहिष्कृत थे)। वर्तमान में, स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटन (प्रांतों में) में सभी मतदाता लेंड्सगेमाइंड नामक वार्षिक सभाओं में आपस में मिलते हैं) और अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के कुछ नगरों में नागरिक आपस में इकट्ठे होते हैं वाद-विवाद करते हैं तथा खुली सभाओं में मतदान करते हैं। परन्तु अन्य सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अव्यावहारिक हो गया है। आधुनिक राज्य, नागरिकों के एक काफी बड़े हिस्से द्वारा अभिशासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिए, प्रादेशिक ओर जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। इतना ही नहीं, ऐसे अधिकांश मुद्दे जो सार्वजनिक सोच-विचार के अंदर आते हैं, उनकी श्रंखला और जटिलता ऐसी होती है कि एक नागरिक के लिए इनके बारे में दक्षता, प्राप्त करना असंभव हो गया है। वास्तव में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में निश्चित रूप धारण करने लगीं और धीरे-धीरे विश्व के अन्य हिस्सों में इनका विस्तार हुआ। इन व्यवस्थाओं में, नागरिक प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने के स्थान पर, नियमित चुनावों द्वारा नीति का निर्धारण करने और अपने ऊपर अभिशासन के लिए राजनीतिज्ञों का चयन करते हैं। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं के पैमाने और प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्रों के चुनावी और संसदीय गति की, इन दोनों के कारण, राजनीतिज्ञ चुनावी और विधायी 'टीमों' या दलों के निर्माण या उनमें शामिल होने के लिए विवश हुए, अर्थात् स्थिर संगठन जिनके माध्यम से वे निर्वाचन जिलो के आर-पार संसदीय सभाओं और कार्यकारी या सरकारी समितियों में अपनी राजनीतिक गतिविधि का संयोजन करते हैं। ये दल और दलीय व्यवस्थाएँ आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्रों के घटक तत्व बन गए हैं। वर्तमान में, ये एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की सर्वाधिक दृश्यमान संस्थाएँ हैं। सभी प्रतिनिधि लोकतंत्रों में ये राजनीतिक नेतृत्व और मतदाताओं, राजनीतिक अभिजन और नागरिक, समाज, शासक और शासित के बीच संबंध बनाने वाली संस्थाएँ हैं। इस इकाई में हम राजनीतिक दलों के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे उन्हें परिभाषित करने वाली विशेषताओं की पहचान करेंगे और दलीय व्यवस्थाओं के प्रकारों का वर्णन करेंगे।

7.2 राजनीतिक दल

राजनीतिक दलों के बिना एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना करना कठिन है। वो राजनीतिक दल ही है जो लोगों को सामान्य आधार पर एकत्रित करता है, उन्हें संघटित करता है, जनमत का निर्माण करता है और अपने समर्थकों की ओर से उसे एक व्यापक मोर्चे पर प्रस्तुत करता है। परन्तु, अपने विकास के प्रारंभिक वर्षों में, लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य तक, दलीय संगठनों और उनसे जुड़ने वाली जनता को संदेह और चिंता की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामान्य हित के खर्च से समाज के अंदर विरोधी समूहों की सेवा में जुटे समूहों को 'दल' के नाम से न बुलाकर, अपमानजनक तरीके से 'गुट' कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाकर, नागरिक अधिकारों और निर्वाचकीय मताधिकार के विस्तार के साथ राजनीतिक दलों को स्वीकृति और लोकप्रियता मिलनी आरंभ हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मोसे ओसतरोगोरसकी ने राजनीतिक दलों के बढ़ते हुए महत्व को पहचाना और भविष्यवाणी के रूप में कहा कि 'जहाँ कहीं भी दलों का ये जीवन विकसित होता है, ये अपने नागरिकों की राजनीतिक भावनाओं और सक्रिय इच्छाओं को

संकेंद्रित करता है (1902)। वास्तव में, अगले कुछ दशकों में, पश्चिमी यूरोप में व्यापक राजनीतिक दल मतों के लिए लड़ रहे थे, जबकि यूरोप के अन्य हिस्सों में, सर्वाधिकारीवादी राज्यों (साम्यवादी और फासीवादी) में सत्ताधारी दलों ने आदर्श समाज की अपनी कल्पना के अनुसार समाज के पुनर्निर्माण का प्रयास किया। एशिया, आफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में राष्ट्रवादी दल औपनिवेशिक शासन के विरूद्ध लोगों को लामबंदी करते हुए विशाल दलों के रूप में उभरने लगे। वर्तमान में, राजनीतिक दल संगठित राज्य व्यवस्था का पर्याय बन गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये इस सीमा तक अपरिहार्य हो गए हैं कि 20वीं शताब्दी के लोकतंत्र का वर्णन अक्सर 'दलीय लोकतंत्र' के रूप में किया जाता है।

यदि राजनीतिक दल वे अभिकरण हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, तो वे क्या हैं और वे नागरिक समाज, संघ, क्लब आदि जैसे सामाजिक समूहों से किस प्रकार भिन्न हैं? इनकी सर्वव्यापकता को देखते हुए हम ऐसा सोच सकते हैं कि इनके बारे में सहमति प्राप्त करना आसान होगा। परन्तु, राजनीतिक दलों का विकास लम्बे समय से और निश्चित राष्ट्रीय संदर्भों में होता रहा है-भिन्न उद्भव, संगठनों, विचारधाराओं, निर्वाचन अभियान संसाधनों, प्रतिस्पर्धा के प्रतिमानों आदि के साथ। अतः राजनीति विज्ञान के विद्वानों के लिए एक दल की सटीक परिभाषा तक पहुचाना कठिन साबित हुआ है। वास्तव में, राजनीतिक दलों के बारे में उनकी परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन हुआ है।

अपने विख्यात राजनीतिक प्रचार पुस्तिका, 'थॉट्स ऑन दि कॉज ऑफ दि प्रेज़ेंट डिसकंटेंट्स (1770), में एडमंड बर्क ने एक दल की परिभाषा 'व्यक्तियों का एक समूह जो किसी निश्चित सिद्धांत, जिस पर वे सहमत हों, पर चलते हुए, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं' के रूप में प्रस्तुत की।

लगभग एक शताब्दी के बाद, विख्यात जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने राष्ट्रीय हितों के प्रोत्साहन से ध्यान हटाते हुए उसे शक्ति पर केंद्रित किया। इनका मानना था कि '(दलों की) क्रिया का रूझान सामाजिक शक्ति की प्राप्ति की ओर होता है, अर्थात्, सामाजिक क्रिया को प्रभावित करने की दिशा में, चाहे उसका तत्व कुछ भी हो। वेबर का अनुसरण करते हुए रॉबट मिशेल्स, मॉरिस दुवर्जर और शुम्पीटर ने इस बात पर बल दिया है कि एक राजनीतिक दल का प्राथमिक उद्देश्य शक्ति पर विजय प्राप्ति या उसके अभ्यास में एक हिस्सा प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रियायी राजनीतिक अर्थशास्त्री शुम्पीटर ने एक दल की परिभाषा 'एक समूह जिसके सदस्य राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष में सामंजस्य के साथ कार्य करने का इरादा रखते हैं' के रूप में प्रस्तुत की। इससे मिलते-जुलते ढंग से, राजनीति में युक्तिमूलक चयन सिद्धांत के प्रारंभिक प्रतिपादक, एंथनी डाऊँस ने एक दल की परिभाषा 'एक विधिवत् रूप से घटित चुनाव से सत्ता प्राप्त करते हुए अभिशासकीय उपकरण पर नियंत्रण की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों की एक टोली' के रूप में प्रस्तुत की। गिलक्राइस्ट ने इस पहलू का विस्तार किया और एक राजनीतिक दल की परिभाषा 'नागरिकों का एक संगठित समूह जो समान राजनीतिक दृष्टिकोणों में भागीदारी का दावा करते हैं और जो, एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए, सरकार पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं' के रूप

में दी। तुलनात्मक राजनीति के एक इतालवीं विद्वान, जियोवान्नी सारटोरी ने सरकारी पद पर विजय प्राप्ति के कार्य से ध्यान हटाते हुए उसे उम्मीदवार चयन के कार्य पर केंद्रित किया। इनके अनुसार, एक दल ' एक अधिकारिक नाम से पहचाना जाने वाला कोई भी राजनीतिक समूह जो चुनावों में भाग लेता है और चुनावों (मुक्त या अमुक्त) के माध्यम से सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति को आयोजित करने की क्षमता रखता है।

राजनीतिक दलों की ये परिभाषाएँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, राजनीतिक दलों के कुछ पहलुओं और आयामों पर ध्यान देते हैं और अन्य के बारे में चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि व्हाइट ने उजागर किया है, सभी राजनीतिक दल सार्वजनिक पदों पर कुछ उम्मीदवारों की नियुक्त के लिए 'प्रतिस्पर्धा' नहीं करते। ऐसे कुछ छोटे दल होते हैं जिनकी सरकारी या संसदीय सीटों की प्राप्ति में दिलचस्पी नहीं होती इसके स्थान पर, ये अपनी आवाज़ एक विशिष्ट पहचान या स्थायी दावों के पक्ष में उठाने का कार्य करते है। कुछ स्थितियों में, इनका कार्य ये कहना होता है कि ये 'उपस्थित' हैं, अर्थात् मतदाता और निर्वाचित प्रतिनिधि विद्यमान हैं, यद्यपि ये निर्वाचन क्षेत्र के एक बहुत छोटे अल्पांश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तुलनात्मक राजनीति के परिप्रेक्ष्य से, हमें एक अल्पतम व्यावहारिक परिभाषा की आवश्यकता होती है ताकि हमें ये पता हो कि एक दल क्या है और क्या नहीं। हाल के वर्षों में नीति प्रक्रिया के विषय में बोलने के अधिकार की प्राप्ति का प्रयास करने वाले अनेक सामाजिक और संकरित संगठनों के उदय के कारण ये महत्वपूर्ण हो गया है। इस संदर्भ में ला पालोम्बारा और वाइनर (1966:6) दल की एक विस्तृत, यद्यपि दीर्घ परिभाषा प्रस्तुत करते हैं जिसका वर्णन एक व्यावहारिक परिभाषा के रूप में किया जा सकता है, जो इनके शब्दों में इस प्रकार है:

जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य स्थानीय समकक्षों के साथ सीमित और सविराम संबंध वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक ढ़ीले तरीके से जुड़ा हुआ समूह नहीं है। बल्कि हमारी परिभाषा के लिए आवश्यक है: (I) संगठन में निरंतरता, अर्थात् एक संगठन जिसकी संभावित जीवनअवधि वर्तमान नेताओं के जीवन पर निर्भर न हों (II) स्थानीय और राष्ट्रीय इकाइयों के बीच नियमित संचार और अन्य संबंध के साथ,

स्थानीय स्तर पर सुस्पष्ट और संभाव्यतः स्थायी संगठन का होना (III) मात्र शक्ति के प्रयोग को प्रभावित न करते हुए राष्ट्रीय और स्थानीय, दोनों स्तरों पर सत्ता पर कब्ज़ा और अकेले या अन्य के साथ गठबंधन में निर्णय लेने की शक्ति को धारण करने का नेता का आत्मचेतन संकल्प और (IV) संगठन की ओर से, चुनावों में अनुयायियों को खोजने या किसी तरीके से सार्वजनिक समर्थन की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की चिन्ता का उपस्थित होना।

एक राजनीतिक दल के कुछ कार्यों पर नज़र डालने से ये बेहतर समझने में मदद मिलती है कि एक दल क्या है और क्या नहीं। वास्तव में, जैसा कि हमने देखा, कुछ विद्वानों ने एक दल को परिभाषित करने की प्रक्रिया में एक दल के महत्वपूर्ण कार्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

7.3 दलों के कार्य

लोकतांत्रिक सरकारों के लिए दल क्या करते हैं जो उन्हें अपरिहार्य बना देते हैं या एक आधुनिक राजनीतिक समाज के लिए एक अनिवार्य शर्त बना देते हैं। हम कार्यों के छः वर्गों की पहचान करते हैं जिनका राजनीतिक दल, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, पालन करते हैं।

पहला, राजनीतिक दल अनुभागीय हितों को एक करते हैं, भौगोलिक भेदों के बीच सेतुबंधन का काम करते हैं और संबद्धता को प्रेरित करते हैं। अर्थात् दल हित-समुच्चयन का कार्य करते हैं, मतलब ये है कि ये अपने नेताओं और घटकों के विभिन्न हितों, प्राथमिकताओं और विकल्पों को एक्त्रित करते हैं (समुच्चय) और उन्हें सामान्य उद्देश्यों और नीति प्रस्तावों का रूप देते हैं। ये व्यवस्था और प्रणाली अनुरक्षण दोनों को सुनिश्चित करता है। राजनीतिक दलों का हित समुच्चयन कार्य हित या दबाव समूहों के ठीक विरोध में है जो केवल अपने ही समूहों के हितों की उन्नति के लिए कार्य करते हैं।

दूसरा, राजनीतिक दल सार्वजनिक पदो के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को मनोनीत करने के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार के प्रति योगदान देते हैं। दलों की अनुपस्थिति में, मतदाताओं को स्व-मनोनीत उम्मीदवारों को चकित करने वाली सेना का सामना करना पडेगा, जिनमें से प्रत्येक निजी मित्रता, यश, या नाम के कारण, दूसरों पर एक संकीर्ण विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगा। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हुए, दल इस खतरे को कम कर देते है। ये चुनाव जीतने के लिए अभियान चलाते हैं। जहाँ उम्मीदवार एक गरीब व्यक्ति हो, वहाँ ये उसके चुनाव लड़ने का खर्च भी उठाते हैं।

इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल मतदान के चयन को व्यवस्थित करने के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार की मदद करते हैं-मतपत्र पर उम्मीदवारों की संख्या को घटाते हुए उन तक सीमित करते हैं जिनकी वास्तव में जीतने की संभावना होती है। पिछले चुनावों में जो दल मतों के भारी हिस्से को जीत पाए हों, उनके द्वारा भविष्य के चुनावों में भी मतों के तुलनात्मक हिस्से को जीतने की संभावना होती है। ये उन उम्मीदवारों को चुनाव में हिस्सा लेने से रोकता है जो दलों से नहीं होते या गंभीर नहीं होते। इसके परिणामस्वरूप चुनाव प्रमाणित रिकॉर्ड वाले दलों और उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता पर संकेंद्रित होता है जो मतदाताओं द्वारा एक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक नई सूचना की मात्रा को घटा देता है।

दल का एक अन्य अनिवार्य कार्य होता है सरकार के भीतर समन्वय का। अपने हित समुच्चयन क्रिया के माध्यम से, समाज के भीतर और सरकार और विस्तृत समाज के बीच समन्वय की स्थापना व सामंजस्य लाने के अलावा एक राजनीतिक दल सरकार के अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों ही स्वरूपों में, विधानपालिका और कार्यपालिका के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच भी सामंजस्य का निर्माण करते हैं-राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। जैसा कि हमने इस पाठयक्रम की इकाई 5 में देखा, अध्यक्षात्मक प्रणाली जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, सरकार के तीन अंगों के बीच प्रतिनिधि सभा और सीनेट के नेताओं के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। राजनीतिक दल शक्तियों के

पृथक्करण के सेतुबंधन, देश का प्रभावशाली तरीके से अभिशासन करने के साधन होते हैं। राष्ट्रपति पद पर, प्रतिनिधि सभा और सीनेट में जो व्यक्ति एक ही दल से हों, उनके बीच राजनीतिक सिद्धांतों की साझेदारी और इस प्रकार नीति.निर्माण में आपसी सहयोग की संभावना होती है। एक संसदीय राजनीतिक प्रणाली में जहाँ वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण और निरंतरता, अर्थात् मंत्रिपरिषद विधानपालिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होता है,राजनीतिक दल सरकार के लिए जीवन-रेखा समर्थन उपलब्ध कराने के लिए बहुमत के सदस्यों को एकजुट रखने के लिए उन्हें अनुशासित करने का कार्य निभाते हैं। राजनीतिक दलों की इस भूमिका ने, उन्हें लोकतंत्रों में, वास्तव में अनौपचारिक सरकार बना दिया है चूंकि विधानपालिका की शक्तियाँ अब काफी हद तक राजनीतिक दलों द्वारा हडप ली गई हैं।

इसी प्रकार, सरकार की संघीय और एकात्मक प्रणालियों में, राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय की संरचना करते हैं (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय आदि)। जब दल इस कार्य को व्यापक और प्रभावशाली तरीके से करते हैं, तो 'दलों को व्यक्तिगत राजनीतिज्ञों के रूप में न देखकर, जो उनके नाम से सत्ता संभालते हैं, संगठनों के रूप में देखना, जो केन्द्रीय राजनीतिक अभिकर्ता होते हैं, तर्कसंगत बन जाता है (कात्ज)।

दल घोषणापत्रों के रूप में 'सरकारी क्रिया के वैकल्पिक कार्यक्रमों को प्रस्तावित करने के माध्यम से राजनीतिक दल मतदाताओं को उम्मीदवारों के चयन में भी मदद करते हैं। एक चुनाव अभियान में जिन विशिष्ट नीतियों का समर्थन किया जाता है, वे एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार और एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक भिन्न हो सकते हैं, परन्तु एक दल के उम्मीदवारों द्वारा समर्थन दी जाने वाली नीतियों की साधारणतया उन नीतियों से भिन्न होने की प्रवृत्ति होती है जो दूसरे दलों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तावित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण में, यद्यपि प्रधान राजनीतिक दलों के नामों की तटस्थता, अर्थात् डेमोक्रैटिक और रिपब्लिकन ये संकेत देती है कि ये अपनी नीतियों की दृष्टि से समरूप हैं, फिर भी, वास्तव में, ये दल नियमित रूप से अपने मंचों पर काफी भिन्न नीतियाँ अपनाते हैं।

यद्यपि विजय प्राप्त करना एक राजनीतिक दल का निश्चित रूप से प्रथम लक्ष्य होता है, फिर भी, एक लोकतंत्र में दल की हार का भी अर्थ उसकी मृत्यु नहीं होता। उस स्थिति में, एक दल एक आलोचक और सरकारी नीति के हितप्रहरी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, राजनीतिक दल, लोकतंत्रों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ एक ओर उन्हें लोकतांत्रिक मानदंडों और मूल्यों की संरचना को कायम रखना और उनका सशक्तीकरण करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अधिकतम लामबंदी को सुनिश्चित करना पड़ता है। इस प्रकार, राजनीतिक दलों को राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रेरित करना पड़ता है।

अभ्यास प्रश्न 1

नोट: i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) दल की अपनी परिभाषा में एडमंड बर्क जिन दो पहलुओं पर बल देते हैं, वे क्या हैं?

.....

.....

.....

2) राजनीतिक दलों को किस प्रकार विचारधारात्मक संगठनों, संघों और क्लबों से अलग किया जा सकता है?

.....

.....

.....

7.4 दल और दलीय व्यवस्थाएँ

एक लोकतांत्रिक राजनीति की व्यवस्था में, राजनीतिक दल सरकार को रूप देने या प्रभावित करने के लिए परस्पर क्रिया और एक दूसरे को प्रतिक्रिया देने के एक प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष में निरंतर जुटे रहते हैं। ये अंतर्दलीय प्रतिस्पर्धा दलीय जीवन और परस्पर दलीय क्रिया का एक व्यवस्थात्मक प्रतिमान या संस्थात्मक प्रबंध को उत्पन्न करती है जो 'दलीय व्यवस्था' के नाम से जानी जाती है। दलीय व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक वर्णक्रम का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें राजनीतिक दल संघटक इकाइयाँ होती हैं। एक प्रणाली में राजनीतिक दलों के प्रबंध, क्रियाओं और संख्या में महत्वपूर्ण विविधताओं का, विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की दलीय व्यवस्था के वर्णन और वर्गीकरण के लिए, अक्सर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, इनका वर्गीकरण विपक्ष की प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर, (रॉबर्ट डाल, 1966), संस्थात्मकता के स्तर के आधार पर (मेनवेरिंग,1999) और राजनीति में नागरिक भागीदारी की सीमा के आधार पर (ला पालोम्बारा और वाइनर, 1966) किया गया है।

परन्तु सबसे व्यापक स्वीकृति प्राप्त मापदंड दलों की संख्या रही है, जिन्हें अक्सर उनके तुलनात्मक आकार की दृष्टि से परिभाषित किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के अनेक विद्वानों ने दलों की संख्या या उनके तुलनात्मक आकारों के आधार पर दलीय व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। ऐसे अधिकांश वर्गीकरण, दो फ्राँसिसी राजनीतिक वैज्ञानिकों, मौरिस दुवर्जर और जाँ ब्लोंडेल द्वारा प्रारंभ में प्रस्तावित व्यवस्था के रूपांतरण रहे हैं। दुवर्जर (1954) ने दो विस्तृत वर्गों की पहचान करते हुए दलीय व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का पथप्रदर्शन किया: i) एक दलीय व्यवस्था और ii) बहुलवादी दलीय व्यवस्था। पहले वर्ग में इन्होंने दो प्रकार शामिल किए (क) एक दलीय व्यवस्था और (ख) प्रभुत्व दलीय

व्यवस्था। जबकि दूसरे वर्ग में, इन्होंने शामिल किए: (क) द्वि.दलीय व्यवस्था और (ख) बहुदलीय व्यवस्था। ब्लोंडेल (1968) ने दलीय व्यवस्था के वर्गीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया। इन्होंने ने केवल दुवर्जर द्वारा पहचान किए गए प्रकारों को व्यावहारिक दृष्टि से परिभाषित किया, बल्कि अतिरिक्त वर्गों को भी प्रस्तुत किया। मतों के हिस्से के आधार पर, ब्लोंडेल ने दलों को द्वि.दलीय व्यवस्थाएँ, एक प्रधान दल के साथ बहुदलीय व्यवस्थाएँ और बिना प्रधान दल के बहुदलीय व्यवस्थाएँ, में श्रेणीबद्ध किया। इनका वर्गीकरण दो सबसे बड़े दलों द्वारा जीते गए मतों के औसत हिस्से में झुंडों को जॉचने और फिर पहले दल के हिस्से के अनुपात की तुलना दूसरे और तीसरे दलों के साथ करने से व्युत्पन्न हुआ। द्वि दलीय व्यवस्थाओं में (संयुक्त राज्य अमेरिका), न्यूज़ीलैंड, ऑस्टेलिया, यूनाइटेड किंगडम, और ऑस्ट्रिया) द्विदलीय हिस्सा 90 प्रतिशत और उससे अधिक था और और दोनों दलों के बीच में निकटता से संतुलित था। अगले झुंड में, द्विदलीय हिस्सा डाले गए मतों के 75.80% के बीच था परन्तु पहले और दूसरे दलों के बीच एक विस्तृत औसत अंतर (10.5%) था। (कनाडा, संघीय जर्मन गणराज्य और आयरलैंड)। मतों के हिस्से में असंतुलन को ध्यान में रखते हुए ब्लोंडेल ने तृदलीय व्यवस्थाओं के स्थान पर, इनका वर्गीकरण ढ़ाई-दलीय व्यवस्थाओं के रूप में किया। अन्य सभी का वर्गीकरण ब्लोंडेल ने सच्ची बहुदलीय व्यवस्थाओं के रूप में जिनका विभाजन एक प्रमुख दल के साथ बहुदलीय व्यवस्थाओं (उदाहरण के लिए स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, इटली और आइसलैंड) और एक प्रमुख दल के बिना बहुदलीय व्यवस्थाओं (नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, फ्राँस, फिनलैंड) में किया जा सकता है। इन प्रकारों की पहचान केवल सबसे बड़े दल द्वारा प्राप्त मतों के हिस्से के आधार पर किया जाता है, निर्वाचन द्वार 40 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाता है।

ब्लोंडेल का वर्गीकरण विशुद्ध द्विदलीय व्यवस्थाओं और ऐसी व्यवस्थाओं (कनाडा और संघीय गणराज्य में प्रचलित) के जिनमे दो बड़े दलों का, उनके बीच एक संतुलनकारी भूमिका निभाने की क्षमता वाले तुलनात्मक दृष्टि से एक छोटे 'आधे' दल के साथ सहअस्तित्व हो, अंतर और समानताओं को उजागर करने में उपयोगी रहा है।

दुवर्जर और ब्लोंडेल द्वारा दिए गए विस्तृत वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम सभी दलों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं: द्विदलीय व्यवस्थाएँ, बहुदलीय व्यवस्थाएँ और एक दलीय व्यवस्थाएँ। इन तीनों की एक परिवर्त, एक दलीय प्रभुत्त्व व्यवस्था के साथ, नीचे चर्चा की गई है।

7.4.1 द्वि-दलीय व्यवस्था

द्विदलीय व्यवस्था में, दो प्रधान राजनीतिक दलों के बीच साधारणतया साझा मूल मान्यताएँ होती हैं, यद्यपि बारीकियों को लेकर उनमें अंतर हो सकता है। इनमें से कोई भी दूसरे से स्थायी रूप से अधिक स्थिर या शक्तिशाली नहीं होता। जनता के मतों और विधानपालिका की सीटों में बहुमत प्राप्त करने के लिए दोनों दलों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा रहती है। दोनों ही दल सरकारी पक्ष के स्थान पर बने रहते हैं (मंत्रीपीठ पर) या विपक्ष में बैठते हैं, यद्यपि ये हमेशा वैकल्पिक नहीं होता। इसके अलावा द्विदलीय व्यवस्था में एक या उससे अधिक छोटे दल भी हो सकते हैं। परन्तु, ये छोटे दल न तो सत्ता में आते हैं और न ही साधारणतया चुनाव के परिणामों को प्रभावित करते हैं, यद्यपि कभी.कभी छोटे दल अपने आपको किसी एक या अन्य प्रमुख दल से जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, ब्लोंडेल की

गणना में, ये दल ढ़ाई दलों के वर्ग में आते हैं। कभी.कभी, एक तीसरा उभरता हुआ दल प्रमुख दलों से प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है, जैसा कि 1970 के दशक में ब्रिटेन के लिबरल-डेमोक्रैटिक पार्टी द्वारा किया गया था।

द्विदलीय व्यवस्था के उदाहरण

1. संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक राजनीतिक दल व्यवस्था एक द्विदलीय व्यवस्था है जिस पर डेमोक्रैटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का प्रभत्व है। इन दोनों दलों ने 1852 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक राष्ट्रपति-पद संबंधी चुनाव को जीता है और कम से कम 1856 से कुछ हद तक अमेरिकी काँग्रेस पर इनका नियंत्रण रहा है।

2. यूनाइटेड़ किंगडम (UK) पूर्णतया एक द्विदलीय व्यवस्था नहीं है क्योंकि अन्य दलों को भी महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है। कंसर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी प्रमुख दल थे। लिबरल डेमोक्रैटिक पार्टी 2015 के आम चुनाव तक तीसरा सबसे बड़ा दल था जब स्कॉट्दिश नेशनल पार्टी, सीटों और यू.के. राजनीतिक दल सदस्यता की दृष्टि से, और मतों की दृष्टि से यू.के. इंडिपेंडेंस पार्टी उससे आगे निकल गए।

3. ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक वर्णक्रम पर दो राजनीतिक समूहों का प्रभुत्त्व है जो एक वास्तविक द्विदलीय व्यवस्था की स्थापना करते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी (ALP), एक केन्द्र-वापपंथी दल जो औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई मज़दूर आन्दोलन से जुड़ा हुआ है। दूसरा समूह, रूढ़िवादी दलों का एक समूह है जो संघीय स्तर पर गठबंधन में हैं।

7.4.2 बहु-दलीय व्यवस्था

समाज और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विकास के साथ बहुल दल उत्पन्न हुए, जिनमें प्रत्येक की अपनी अनोखी विचार धारा और विश्वास या उद्देश्य थे। बहुदलीय व्यवस्था की विशेषता होती है काफी बड़ी संख्या में चुनाव के माध्यम से सत्ता के लिए प्रतियोगिता करने वाले बड़े और छोटे दलों की उपस्थिति। ये व्यवस्था विकसित और विकासशील, दोनों देशों में पाई जाती है। इस व्यवस्था में, जो दल सर्वाधिक सीटें प्राप्त करता है, वही सरकार का निर्माण करता है। इस इकाई में आगे चलकर आप प्रतिनिधित्व की पद्धतियों के बारे में पढेंगे। यहाँ आपके लिए ध्यान देने योग्य बात ये है कि कुछ स्थितियों में जब किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो दो या अधिक एक ही मानसिकता वाले दल एक जुट होकर एक गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। ऐसी सरकारें साधारणातया अभिशासन के लिए एक न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम अपनाती हैं क्योंकि उनकी किसी एक विचारधारा के प्रति वचनबद्धता नहीं होती।

बहुदलीय व्यवस्था के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. स्ट्रिज़रलैंड में एक बहुदलीय व्यवस्था है। 1959 से, चार सबसे बड़े दल एक ज़ाउबरफॉर्मेल या 'जादुई फार्मूला' के अनुसार एक गठबंधन की सरकार का निर्माण करने आए हैं। ये गणितीय

फार्मूला सात मंत्रिमंडलीय सीटों का विभाजन सबसे बड़े चार दलों के प्रतिनिधियों के बीच करता है।

2. ऑस्ट्रिया में बहुदलीय व्यवस्था है। लगभग 700 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दलों में से, केवल कुछ के बारे में सामान्य जनता को जानकारी रहती है जैसे ऑस्ट्रियन पीपुल्स पार्टी, सोशियल डेमोक्रैटिक पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया और फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया। 1980 के दशक से, चार दलों को राष्ट्रीय संसद में सीटें प्राप्त करने के लिए सुसंगत तरीके से पर्याप्त वोट मिलते रहे हैं।

3. बेल्जियम एक बहुदलीय प्रणाली सहित, एक संघीय राज्य है जिसमें न्यू फ्लेमिश अलायेंस पार्टी, क्रिश्चिन डेमोक्रैटिक पार्टी, और फ्लेमिश पार्टी और सोशियलिस्ट पार्टी, जैसे अनेक दल हैं जिनकी यर्थाथ में अकेले सत्ता प्राप्ति की कोई संभावना नहीं होती, अतः उनको गठबंधन की सरकारों का निर्माण करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करना होगा। लगभग सभी बेल्जियन राजनीतिक दल भाषाई समूहों में विभाजित है, या तो डच बोलने वाले दल, फ्रेंकोफोन दल (फ्रेंच बोलने वाले दल) या जर्मन बोलने वाले दल।

4. न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय राजनीति की विशेषता एक व्यापक दलीय व्यवस्था है। साधारणतया, संसद के एक.सदनीय हाऊस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव्ज के सभी सदस्य किसी राजनीतिक दल से होते हैं। तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र सांसद कम पाए जाते है। यद्यपि दो प्राथमिक दलों का न्यूज़ीलैड के राजनीतिक परिदृष्य पर अब तक भी प्रभुत्त्व कायम है, फिर भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रवर्तित होने के समय से ही ये एक बहुदलीय राज्य के समान अधिक दिखता है जहाँ छोटे दल सरकार में एक भूमिका निभाने की यथोचित अपेक्षा कर सकते हैं। मई 2018 से, पाँच दलों के प्रतिनिधि संसद में हैं।

5. इटली में अनगिनत राजनीतिक दल हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के समय से किसी भी दल को अकेले शासन करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। अतः दल राजनीतिक समझौतों और गठबंधन सरकारों का निर्माण करते हैं। 2018 के आम चुनाव में तीन समूहीकरणों ने इटली की संसद के दोनों सदनों में अधिकांश मत और अधिकांश सीटें प्राप्त कीं: एक केन्द.दक्षिण गठबंधन, जिसमें दि लीग, फोर्तसा इतालिया, दि ब्रदर्स ऑफ इटली और लघु सहयोगी दल थे, व्यवस्था-विरोधी फाईव-स्टार मूवमेंट, एक केन्द्र-वाम गठबंधन जिसमें डेमोक्रैटिक पार्टी और लघु सहयोगी दल थे।

6. भारत एक व्यवस्थित बहुदलीय लोकतंत्र है जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर के दल हैं। भारतीय चुनाव आयोग के हाल के प्रकाशन के अनुसार पंजीकृत दलों की कुल संख्या 2599 है, जिसमें 8 राष्ट्रीय दल, 53 राज्य स्तर के दल और 2538 मान्यता रहित दल हैं। बहुल दल राज्य और केंद्र, दोनों में, गठबंधन सरकार के निर्माण के लिए आपसी सहयोग देते हैं।

7.4.3 एक दलीय व्यवस्था

जैसा कि नाम द्वारा सुझाया गया है, ये व्यवस्था एक एकल दल को सत्ता धारण करने की अनुमति देती है। लघु दलों को हाज़िर रहने की अनुमति होती हैं परन्तु इसके फलस्वरूप उन्हें एकल विद्यमान दल के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता है। इस दल को सही अर्थ में सरकार नहीं कहा जा सकता, परन्तु दल के भीतर का काडर और नेतृत्व, सरकार से अधिक प्रभावशाली होता है। एक दलीय व्यवस्थाओं को अक्सर लोकतांत्रिक तालिका के पैमाने में सबसे निचले स्थान पर रखा जाता है और उन्हें सत्तावादी शासन प्रणाली और निरंकुश शासन के समान माना जाता है। समकालीन समय में, एक दलीय व्यवस्था के कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

1. उत्तरी कोरिया पर किम वंश का शासन है जो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के नाम से ज्ञात सत्ताधारी दल के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार चिरकाल तक शासन करेगा।
2. चीन के जनवादी गणराज्य को वास्तविक एक दलीय राज्य घोषित किया गया था, अर्थात् चीन का साम्यवादी दल जिसमें राष्ट्रपति, दल का आम सचिव होगा।
3. वियतनाम में एकमात्र वैध राजनीतिक दल को कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम (CPV) के नाम से जाना जाता है। ये दल राज्य के अंगों, मीडिया और सेना पर केंद्रीय नियंत्रण रखता है। वियतनाम फादरलैंड फ्रँट पार्टी (VFF) अधिक शक्तियों के बिना विद्यमान है क्योंकि वियतनाम का संविधान, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत CPV को सर्वोच्यता प्रदान करता है।
4. क्यूबा में कोई भी राजनीतिक दल अभियान सभाओं का आयोजन नहीं कर सकता। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के अध्यक्ष के पद का चुनाव प्रति पाँच वर्षों में होता है, और इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि उसी पद के लिए वह कितनी बार चुनाव लड़ सकता है।
5. प्रभुत्त्व दलीय व्यवस्था : एक प्रभुत्त्व दलीय व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल विद्यमान होते हैं परन्तु केवल एक दल के पास सरकार बनाने की क्षमताएँ होती हैं। यद्यपि इस प्रणाली की जड़ें लोकतांत्रिक परंपराओं में होती हैं, फिर भी अन्य दलों की सत्ता में आने की संभावना कम होती है। प्रभुत्त्वदलीय व्यवस्था के उदय के लिए अनेक कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जैसे जनता के बीच लोकप्रियता, दल की ऐतिहासिक वंशावली, चमत्कारिक नेतृत्व, सशक्त संगठनकारी संरचनाएँ आदि। भारत में 1952 से लेकर 1967 तक काँग्रेस के प्रभुत्त्व को प्रभुत्त्व दलीय व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी, जो भारत में केंद्र और अनेक राज्यों में सत्ता में है, एक प्रभुत्त्व दल के रूप में देखा जाता है।

7.5 दलीय संगठन के विकास की कुछ प्रवृत्तियाँ

अपने विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में, सामान्य चिंताओं को अभिव्यक्त करने और एक प्रभावशाली अभियान लड़ने के लिए दलों का निर्माण आंतरिक रूप से संसद के अंतर्गत किया जाता था। इनका उल्लेख कॉकस दलों के रूप में किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, 19वीं शताब्दी की प्रारंभिक

अवस्था में बहुत कम लोग मताधिकार के लिए योग्य थे और इस प्रकार कुछ अभिजन, कुलीन, रईस और धनी व्यक्ति अभिशासन या लोक नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए एकत्रित हुए।

वयस्क मताधिकार के 20वीं शताब्दी में सार्वभौमिक होने से पहले अधिकांश पश्चिमी लोकतंत्रों पर विशेषाधिकारवादी दलों का प्रभुत्व रहा, अर्थात् ऐसे दल जो अपने आग्रह को जनसंख्या के एक विशेष हिस्से तक सीमित रखते हैं। रूढ़िवादी दलों की कुलीन उच्च वर्गों और व्यवसायी वर्ग के अधिक धनवान सदस्यों के विचारों को प्रतिबिंबित करने की प्रवृत्ति रही जबकि श्रमिक वर्ग के दलों ने अपने मतों की माँग लगभग केवल शहरी औद्योगिक केंद्रों में स्थित श्रमजीवी जनता से की। कृषिक दलों ने किसानों के हितों को प्रोत्साहित किया। इन दलों की परिभाषा मूल रूप से इनके सामाजिक वर्गीय आधार द्वारा हुई।

सार्वभौमिक मताधिकार के आने के साथ, दलों ने अपने आग्रह का विस्तार किया। इसके फलस्वरूप, विशाल दलों का उदय हुआ , ऐसे दल जिनके पास व्यापक सदस्यता और एक नौकरशाहीकृत, केंद्रीकृत और पदानुक्रमिक प्रकार का संगठन था। व्यवस्थित विचारधारा या शासन को चुनौती देते हुए, अपने स्वयं के प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए, इन विशाल दलों की उत्पत्ति संसद के बाहर हुई।

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर वर्षों में, यूरोप के राजनीतिक दल 'कैच ऑल' (सभी को पकड़ो) संगठन या इंद्रधनुषी गठबंधन की ओर बढ़ने लगे जिन्होंने विस्तृत प्रकार के सामाजिक समूहों और हितों को आकर्षित किया। यूरोप में दलीय परिवर्तन का अध्ययन करने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक, औट्टो कर्छहाइमर ने 'कैच ऑल' शब्द की रचना की, उन दलों का वर्णन करने के लिए जो अपने जन समर्थन के आधार का अधिक से अधिक संभव विस्तार करना चाहते हैं। चुनाव जीतने और सरकार को अपने हाथ में लेने के लिए, कैच ऑल दल उनसे जितने हो सके, उतने सभी मतों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिन्हें वे सामाजिक वर्गों की विविधता, धर्म, नृजातीय समूह और जनसंख्या के अन्य खंडों से आकर्षित करते हैं। इस प्रक्रिया में वे साधारणतया विशेष समूहों या सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता में ढ़िलाई कर देते हैं और अधिक लचीले दृष्टिकोण अपनाते हैं जो उनके जन आकर्षण के विस्तार की क्षमता रखते हों। कर्छहाइमर ने शोक प्रकट किया कि कैच ऑल दलों के उदय के परिणामस्वरूप 'सिद्धांतवादी विपक्ष' का लोप हो रहा था जो तत्व, संघर्ष और चयनरहित राजनीति का कारण बना।

हाल के इतिहास में, सूचना संचार टैक्नॉलजियों के विस्तार के साथ राजनीतिक दल नई संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे है। नई टैक्नॉलजियाँ और सोशल मीडिया, दलों के लिए अपने समर्थकों के साथ जुड़ने और लोगों के नए समूह की लामबंदी करना आसान बना रहे हैं। जहाँ इसने दलों पर वित्तीय भार को घटाया है, जो इससे पहले आम सभाओ, आमने-सामने अभियान पर निर्भर करते थे, उन्हें अब समाज में गहरी जडों की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कई देशों में दल अपने जन और प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव को खो रहे हैं और कार्टेल दल बन रहे हैं। कार्टेल दल राज्य के संसाधनों (धन और संरक्षण) और साथ ही अपने नेताओं की पेशेवार स्थिरता और निरंतरता के लिए अक्सर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में, दल राज्य के उपकरण का हिस्सा बनते

जा रहे हैं। अंत में ये कहा जाता है कि दलीय नीति और संगठन अब एक उतना ही तकनीकी और व्यावसायिक मामला बन गया है जितना कि एक विचारधारात्मक मामला है। समाज में संचार टैक्नॉलजियों के विस्तृत प्रयोग के परिणामस्वरूप दल अपनी सार्वजनिक छवि को संभालने के लिए व्यवसायियों पर निर्भर होने लगे हैं। अधिकांश सफल दल अत्यधिक केंद्रीकृत और तकनीकी दृष्टि से कुशल दल क्रियाओं और चुनावी अभियानों का संचालन करते हैं। इसके लिए अवसर, मतसंग्रह, फोकस (संकेंद्रण) समूह, स्पिन डॉक्टर्स (दल की छवि को अच्छा दिखाने वाले प्रवक्ता), सावधानी से संयोजित जन-संपर्क और सोशल मीडिया समेत जन-संचार माध्यम का प्रयोग होता है।

अभ्यास प्रश्न 2

नोट: i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था में भेद करे।

.....

.....

.....

2) गठबंधन सरकार को परिभाषित करे।

.....

.....

.....

7.6 सारांश

दल और दल व्यवस्थाएँ आधुनिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्रों के संघटक तत्व बन गए हैं वर्तमान में, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र की सर्वाधिक दृष्टिगोचर संस्थाएँ हैं। ये सभी प्रतिनिधि लोकतंत्रों में राजनीतिक नेतृत्व और मतदाताओं, राजनीतिक अभिजन और नागरिक समाज, शासक और शासित के बीच मध्यस्थता स्थापित करने वाली संस्थाएँ बन गई हैं।

दल अनिवार्य कार्य करते हैं, जो इन्हें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपरिहार्य बना देते हैं। हितों के समुच्चयन, सामान्य विश्वास संरचना द्वारा बंधे हुए लोगों के प्रयासों को दिशा देने, नेतृत्व प्रदान करने, आंदोलन को रूप देने, सरकारों का गठन करने और सत्ताधारी दलों की नीतियों पर अंकुश रखने, समाज के व्यापक हितों के लिए कार्य करने में राजनीतिक दल सहायक होते है। संख्या के आधार पर दल प्रणालियों का वर्गीकरण व्यापक मान्यता प्राप्त प्रणाली है। जैसा कि हमने देखा दुवर्जर और ब्लोंडेल ने संख्या.आधारित वर्गीकरण प्रणाली को विकसित किया जो कुछ परिवर्तनों के साथ

समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इस वर्गीकरण के आधार पर, हमने संक्षेप में द्वि दलीय व्यवस्था का परीक्षण किया है।

उदाहरण के लिए, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दो.दलों की एक व्यवस्था कायम है जबकि भारत, फ्राँस, बांग्लादेश, स्विट्ज़रलैंड आदि समेत अधिकांश देशों में एक बहु दलीय व्यवस्था अस्तित्व में आई है। दूसरी ओर, चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया आदि जैसे सत्तावादी और साम्यवादी देशों में एक दलीय व्यवस्था क्रियाशील है।

संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न, विश्व के अधिकांश लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र की ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण करते हैं। इनमें से अधिकतर के पास बहु दलीय व्यवस्था है जिसमें विभिन्न दल चुनाव में मतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। परन्तु ऐसी बहु दलीय व्यवस्था चुनाव में अक्सर स्पष्ट बहुमत उत्पन्न नहीं करती, जिसके परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारों का गठन होता है।

7.7 संदर्भ

न्यूटन. केनेथ एण्ड जेन वॉंडेथ. (2010). फाऊंडेशन्स ऑफ कम्पैरिटिव पॉलिटिक्स. केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

किट्शेल्ट, हरर्बट-पार्टी सिस्ट्म्स. चाल्स्र बोआ एण्ड सूज़न सी. स्टोक्स (सं0) में. (2007). दि ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ कम्पेरिटिव पॉलिटिक्स. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. लंदन.

काट्ज, एस रिचर्ड. पोलिटिकल पार्टीज़, दानिएले कारामानी (सं0) में. कम्पेरिटिव पॉलिटिक्स. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. लंदन.

वेयर, ऐलन. (1995). पोलिटिकल पार्टीज़ एण्ड पार्टी सिस्ट्ज़. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. लंदन.

मेओर, मोश (1997). पोलिटिकल पार्टीज़ एण्ड पार्टी सिस्ट्म्स: कम्पेरिटिव एप्रोचज़ एण्ड दि ब्रिटिश एक्सपीरियेंस (थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स). राउटलेज, लंदन

मेहरा, ए.के.खन्ना, डी.डी एण्ड कूक, जी.डब्ल्यू, (2003). पोलिटिकल पार्टीज़ एण्ड पार्टी सिस्टम्ज़ (सं0) सेज पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, इंडिया

शर्मन, केंपबेल एण्ड जॉनस्टन रिचर्ड. (2015). पार्टीज़ एण्ड पार्टी सिस्टम्ज़: स्ट्रक्चर एण्ड कांटेक्स्ट. यूनिवर्सिटी ऑफ कोलम्बिया प्रेस.

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) बर्क की परिभाषा इस बात पर बल देती है कि (क) राजनीतिक दल व्यक्तियों द्वारा निर्मित संगठन होते हैः, और (ख) दलों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं।

2) सत्ता प्राप्त करना, अर्थात् सरकार बनाना, राजनीतिक दलों का एक उद्देश्य होता है। राजनीतिक दलों की प्रकृति क्षेत्रीय, भाषा. विषयक हो सकती है, परन्तु संघों, क्लबों जैसे विचारधारात्मक संगठनों की तुलना में ये काफी व्यापक होते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

1) एक प्रभुत्त्व दलीय व्यवस्था में, अनेक राजनीतिक दल होते हैं परन्तु केवल एक ही दल के पास सरकार बनाने की क्षमताएँ होती हैं, जबकि एक दलीय व्यवस्था में स्पष्ट रूप से एक एकल स्वीकृत राजनीतिक दल होता हैं। परन्तु, दोनों ही स्थितियों में, वही एकल दल चुनाव जीतता है।

2) एक गठबंधन सरकार, सरकार का ऐसा रूप है जिसमें राजनीतिक दल आपस में सहयोग करते हुए उस 'गठबंधन' के अंदर किसी एक दल के प्रभुत्त्व को घटाते हैं। इस प्रबंध के लिए सामान्य कारण ये होता है कि कोई भी दल अपने बल पर चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 8 दबाव समूह *

संरचना

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 दबाव समूहों की परिभाषा

8.3 दबाव समूहों की उत्पत्ति

8.4 दबाव समूह और अन्य सामाजिक समूह

- 8.4.1 दबाव समूह और हित समूह
- 8.4.2 दबाव समूह और राजनीतिक दल
- 8.4.3 दबाव समूह और नागरिक समाज संगठन

8.5 दबाव समूहों की विशेषताएँ

8.6 दबाव समूहों का वर्गीकरण

- 8.6.1 संस्थागत दबाव समूह
- 8.6.2 सामुदायिक दबाव समूह
- 8.6.3 गैर-सामुदायिक दबाव समूह
- 8.6.4 चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह

8.7 दबाव समूहों की पद्धतियाँ और युक्तियाँ

- 8.7.1 लॉबिंग (पक्ष जुटाव)
- 8.7.2 जन मत का निर्माण
- 8.7.3 प्रोपेगेंडा (अधिप्रचार) और पब्लिसिटी (प्रचार)
- 8.7.4 हडताल और आन्दोलन

8.8 आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रभाव समूह

8.9 सारांश

8.10 संदर्भ

8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

जैसा कि हमने पिछली इकाई में देखा, एक लोकतंत्र में राजनीतिक दल नागरिकों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। दबाव समूह भी, जो इस इकाई का विषय हैं, इसी प्रकार की

* डॉ. एन. किशोरचंद सिंह, परामर्शदाता, राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

भूमिका निभाते हैं और नीति-प्रक्रिया के प्रति योगदान देते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

- दबाव समूहों के अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या;
- दबाव समूहों और राजनीतिक दलों, हित समूहों, नागरिक समाज के बीच अंतर करना;
- दबाव समूहों का वर्गीकरण करना ;
- दबाव समूहों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पद्धतियों, रणनीतियों और तकनीकों का वर्णन;
- लोकतांत्रिक राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका की व्याख्या।

8.1 प्रस्तावना

हम साधारणतया आधुनिकीकरण को इस व्यापक विश्वास से जुड़ा हुआ मानते हैं कि जीवन की परिस्थितियों में मानव क्रिया द्वारा बदलाव लाया जा सकता है। परन्तु आधुनिकीकरण का संबंध आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों से भी है, जैसे औद्योगीकरण, शहरीकरण, आधुनिक शिक्षा, जन संचार का फैलाव इत्यादि। इन परिवर्तनों के कारण जीवन की परिस्थितियों में विविधता की वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप भारी संख्या में विशेष हित समूहों का निर्माण होता है। अधिकांश लोकतंत्र ऐसे विशेष हित समूहों को अपनी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने का क्षेत्र प्रदान करते हैं। सामान्य रुप से 'हित समूह' या 'दबाव समूह' के नाम से पहचाने जाने वाले ये समूह सरकार और अन्य राज्य उपकरणों पर दबाव के द्वारा, अपने सामूहिक हितों की रक्षा या उन्हें आगे बढ़ाने और अपने लिए अनुकूल लोकनीति के परिणाम प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। व्यक्तियों को समूहों में संगठित करने और फिर उन्हें राजनीतिक प्रणाली के साथ जोडने के द्वारा ऐसे समूह राजनीतिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। इस अर्थ में, दबाव समूह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और शासितों के बीच मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं के रुप में कार्य करते हैं।

8.2 दबाव समूहों की परिभाषा

'दबाव समूह'को एक सर्वमान्य परिभाषा में परिभाषित करने का कार्य कठिन है। दबाव समूहों की निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार कीजिएः

- संगठित समूह जिनके पास औपचारिक संरचना और वास्तविक साझे हित होते हैं जहाँ तक कि वे सार्वजनिक निकायों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं (डब्ल्यू.जे.एम.मेकेन्ज़ी);
- संगठन (जो)..... सार्वजनिक निकायों की नीति को अपनी चुनी हुई दिशा में प्रभावित करने का प्रयास करने हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से देश के शासन की जिम्मेदारी लेने के लिए स्वयं कभी तैयार नहीं होते (सैम्युल फाइनर) ;
- 'एक साझे हित, विश्वास, क्रिया या उद्देश्य द्वारा जुड़े व्यक्तियों का एक संघ है जो अनुकूल नीतियों, विधि निर्माण और परिस्थितियों के रूप में सत्ता के अनुमोदन और सहयोग की प्राप्ति द्वारा दूसरे समूहों की तुलना उठाने का प्रयास करना हैं (पीटर शिपली) ;

- 'संगठन जो सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार न होते हुए, सरकारी नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं' (एन.सी.हंट)

अपने बल में अंतर के बावजुद, ये परिभाषाएँ स्पष्ट कर देती हैं कि दबाव समूह स्वयंसेवी सामाजिक समूह होते हैं जिनकी विशेषता विश्वासों.उत्पाद सक्रियता है जिसके माध्यम से वे उस परिवर्तन को लाना चाहते हैं जिसे वे वांछनीय समझते हैं या अवांछनीय परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। इनकी सक्रियता, जिसे अक्सर 'दबाव राजनीति' का नाम दिया जाता हैं। का संबंध सरकार और अन्य राज्य उपकरणों, जैसे विधानपालिकाओं, कार्यपालिकाओं या निर्णय-प्रणाली और लोक नीतियों के कार्यान्वयन में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करने से होता है। हाल में, दबाव समूह पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार इत्यादि मुद्दों से संबंधित सामाजिक आन्दोलनों के रूप में भी उभरे हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओं आन्दोलन (एन बी ए) या इंडिया अगेन्स्ट करपशन (भ्रष्टाचार के विरूद्ध भारत) जैसे समूह पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर क्रमशः जन चेतना का प्रचार करते हुए नीति के एक बेहतर परिणाम के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं।

दबाव समूह आकार और प्रभाव तथा साथ ही साथ क्रिया के क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न होते हैं। कुछ तुलनात्मक दृष्टि से छोटे होते हैं, अत्यधिक विशिष्ट हितों के आधार पर निर्मित और स्थांनीय या आंतरिक स्तर पर क्रियान्वित होते हैं, जबकि अन्य दबाव समूह अत्यंत विशाल और शक्तिशाली होते हैं जिनमें से कुछ राष्ट्रीय सीमाओं पार भी क्रियान्वित होते हैं। उदाहरण के लिए, कनफेडेरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन, काऊंसिल ऑफ यूरोपियन फेडेरेशन ऑफ इंडस्ट्री, अमनेस्टी इंटरनैशनल, ऐंटी-अपारर्थइड मूवमेंट, ऑक्सफैम और फैंड्स ऑफ अर्थ कुछ ऐसे समूह हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं के आर.पार क्रियान्वित हैं। इसके अतिरिक्त, नागरिक समाजों, वकालत समूहों और विभिन्न देशों के सामाजिक आन्दोलनों द्वारा निर्मित वर्ल्ड सोशल फोरम (डब्ल्यू एस एफ) जैसे सामूहिक समूह भी हैं परन्तु ये वैश्विक स्तर पर क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार, उनका जो भी आकार, बल और कार्रवाई का क्षेत्र हो, दबाव समूह समाज और राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं और उन्हें आधुनिक राजनीतिक प्रणाली का एक अत्यावश्यक अवयव माना जाता है।

दि वर्ल्ड सोशल फोरम

दि वर्ल्ड सोशल फोरम (डब्ल्यू एस एफ) दुनिया भर के विभिन्न नागरिक समाज समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, किसानों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, युवाओं आदि के समूहों का एक सामूहिक एकजुटता मंच है जिसका लक्ष्य वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों की निंदा करना और एक बेहतर विश्व की स्थापना की दिशा में काम करना है। इस समूह ने अपने वार्षिक मंच का आयोजन पहली बार 2001 में ब्राज़ील के पोर्तो अलेग्र में किया। तब से यह मंच विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने वैश्वीकरण.विरोधी अभियानों का आयोजन करता है। तत्पश्चात् यह इकॉनोमिक फोरम की नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों की निंदा करते हुए उसे चुनौती देने वाले अथवा उसके विकल्प के रूप में उभर कर आया। नव-उदारवाद द्वारा संचालित और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं और अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा रक्षित वैश्वीकरण के अपने विरोध के लिए डब्ल्यू एस एफ प्रख्यात है।

8.3 दबाव समूहों की उत्पत्ति

प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू का उनकी पुस्तक 'पॉललिटिक्स' में प्रसिद्ध कथन है, 'मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्रणी है।' अरस्तू के इस विचार का अर्थ ये है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता और एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। मनुष्यों का ये व्यवहार उन्हें जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक समूहों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। अतः जैसा कि अनेक विद्वानों ने सुझाव दिया है, मानव समाज के संगठन के प्रारंभ के समय से समाज में ऐसे समूह थे जिनका स्वरूप और क्रियाकलाप उनसे मिलते-जुलते हैं जिन्हें हम आज दबाव समूहों के रूप में पहचानते हैं। इस संबंध में, 'समूहों' और 'समूह राजनीति' को मानव समाज के जितना पुरातन माना जा सकता है। समाज के विभिन्न भागों से जुड़े लोग, चाहे वह धर्म, जाति, नृजातीयता, व्यवसाय, मज़दूर संघ, किसान ही क्यों न हो, साथ में आए और अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वेच्छा से अपने आप को संगठित किया।

18 वीं सदी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से अमेरिकी और फ्राँसिसी क्राँतियों के पश्चात्, दबाव समूहों को आधुनिक युग में ख्याति प्राप्त हुई। लोकतांत्रिक अधिकारों, विचारों और मूल्यों के प्रसार के फलस्वरूप दबाव समूहों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। नए दबाव समूहों में प्रमुख वे हैं जो अल्पसंख्यकों और महिलाओं से जुड़े हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की माँग करने के लिए साथ में आए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दमन न हो। उदाहरण के लिए, दास व्यापार विरोध करने के लिए, 1787 में ब्रिटेन में अबालिशन सोसाइटी की स्थापना की गई। इसी प्रकार, एक विश्वव्यापी नारी मताधिकार आन्दोलन के प्रयास के लक्ष्य से 1866 में फ्राँस में दि सोसाइटी फॉर विमेन्स राइट्स की स्थापना की गई। अतः, 19 वीं सदी के अंत तक, व्यापार समूहों, मज़दूर संघों इत्यादि के हितों का दावा करने वाले अनेक ऐसे समूह अधिकांश औद्योगिक समाजों में परिचालित हो चुके थे।

दबाव समूहों द्वारा लोकतांत्रिक राजनीति में ख्याति प्राप्त करने के बावजूद, राजनीति विज्ञान के विषय ने राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका और प्रभाव की ओर शायद ही कोई ध्यान दिया था। एक अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक, जिन्हें ग्रूप थियोरी का संस्थापक माना जाता है, आर्थर एफ. बेंटली ने 1908 में लिखा कि केवल सामूहिक गतिविधियों के विश्लेषण के माध्यम से सरकार के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु, बीसवीं सदी के मध्य में जाकर समूह की राजनीति के अध्ययन ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को आकर्षित करना प्रारंभ किया। राजनीति के अध्ययन में समूह केंद्रित उपागम के पथ प्रदर्शक हैं डेविड बी. ट्रमैन, अर्ल लेथम, डब्ल्यू . जे . एम . मेकेंज़ी, एस. ई . फाइनर और जोसफ लायालोमबस।

8.4 दबाव समूह तथा अन्य सामाजिक समूह

ये सरलता से कल्पना की जा सकती है कि एक राजनीतिक प्रणाली में अनेक प्रकार के समूह हो सकते हैं जो संगठित और संसक्त हो सकते हैं जैसे हित समूह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज

संगठन (सी एस ओ) इत्यादि। यद्यपि ये समूह अपने सामान्य हितों की पूर्ति के लिए होने हैं, ये उनसे भिन्न होते हैं जिनकी पहचान हमने दबाव समूह के रूप में की है। अतः, हमें दबाव समूहों को अन्य समूहों से अलग करने में सक्षम होना चाहिए।

8.4.1 दबाव समूह और हित समूह

अनेक सामाजिक समूहों में, हित समूह शायद दबाव समूहों के सबसे निकट हैं। वास्तव में, अनेक विद्वान दबाव समूहों और हित समूहों के बीच भेद नहीं करते और अक्सर दोनों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, ऐलन आर-बॉल (1994:103), दबाव को हित समूहों, अभिवृत्ति समूहों इत्यादि के ही वर्ग में डालते हैं। उन्होंने इन समूहों को इस प्रकार परिभाषित किया है, 'कुछ हद तक चुने गए और साझे लक्ष्यों वाले सामाजिक समुच्चय जो राजनीतिक निर्णय की निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं'। इसी प्रकार, रॉबर्ट एच. साल्सबरी ने भी तर्क दिया है, "दबाव समूह, केवल अधिक अपमानसूचक परन्तु अधिक सुपरिचित शब्द है हित समूहों के लिए।" अतः दबाव समूह, एक तरीके से हित समूहों के सदृश दिखते हैं कि वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं।

दूसरी ओर, विद्वानों के अन्य समूह हैं, जो दबाव समूहों को हित समूहों से पृथक करना चाहते हैं। उनका मानना है कि दबाव समूह हमेशा सरकार की निर्णय .निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जबकि हित समूहों के लिए ऐसा इरादा होना आवश्यक नहीं है। हित समूह अपने विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल अपने हितों के प्रोत्साहित करने का आग्रह करते हैं परन्तु वे सरकार पर दबाव नहीं डालते। अतः, 'दबाव' शब्द को दोनों के बीच के अंतर के मूल बिन्दु के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, दबाव समूह, हित समूह या इसी प्रकार के किसी अन्य समूह से कीं अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनके पास सरकार के नीति निर्णयों को अपने अनुकूल कराने के लिए उस पर दबाव डालने की मनशा या क्षमता होती है। इस संबंध में, ह्यू ए.बोन कहते हैं, "प्रत्येक समूह एक हित समूह है अथवा एक समूह जिसका हित है, परन्तु प्रत्येक एक हित समूह है अथवा एक समूह जिसका हित है, परन्तु प्रत्येक समूह लोकनीति को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता"। इसका तात्पर्य ये है कि हित समूहों ने अपने आपको दबाव समूहों में तब परिवर्तित कर लिया जब उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करना आरंभ किया। एक तरह से, ये कहा जा सकता है कि सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं परन्तु ये आवश्यक नहीं है कि सभी हित समूह दबाव समूहों में परिवर्तित हों।

कुछ अन्य विद्वान हैं जो 'दबाव समूह' शब्द के प्रयोग से बचना चाहते है। उनका विचार है कि यह शब्द एक नकारात्मक अर्थ का संकेत करता है क्योंकि यह उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग की आशंका की ओर इशारा करता है। ये विद्वान, समाज में किसी विशिष्ट हित के लिए प्रयास करने वाले समूहों की पूर्ण श्रेणी का उल्लेख करने में "अनुभागीय", "संगठित", "लॉबी"या हित समूह जैसे नामों को अधिक पसंद करते हैं। इन्हें चाहे हित समूह, अभिवृत्ति समूह या दबाव समूह कहा जाए, ये अपने.अपने समूह के हितों की पूर्ति के लिए विद्यमान होते हैं और ये सभी किसी न किसी तरीके से सरकार पर कुछ दबाव डालते हैं (वॉट्स 2007: 6)। दबाव समूहों और इन समूहों के बीच अस्पष्ट

सीमा.रेखा के बावजूद, ये अंतर अवश्य स्थापित किया जा सकता है कि "दबाव समूह"का साधारण अर्थ वे समूह हैं जो सक्रियतापूर्वक लोकनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

8.4.2 दबाव समूह और राजनीतिक दल

दबाव समूह और राजनीतिक दल, दोनों महत्वपूर्ण माध्यम हैं जिनका लक्ष्य समाज के विभिन्न हिस्सों के हितों की पूर्ति करना है। कुछ हद तक, दबाव समूहों की भूमिकाएँ राजनीतिक दलों की भूमिकाओं के समानान्तर होती हैं-सरकार और शासित को एक दूसरे से जोड़ने के द्वारा राजनीतिक लामबंदी और प्रतिनिधित्व के अभिकरणों के रूप में। परन्तु दोनों के बीच सैद्धांतिक और व्यावहारिक अंतर होते हैं। जहां एक ओर राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता में आना और सरकार का निर्माण करना होता है, वहीं दूसरी ओर, दबाव समूह आमतौर पर जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके विशिष्ट हितों और आकांक्षाओं के अनुकूल सरकार को प्रभावित करने और उसपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों से भिन्न, जिनका केन्द्रीय उद्देश्य सत्ता पर कब्ज़ा करना और सरकार चलाना होता है, दबाव समूहों का उद्देश्य कभी भी सरकार पर औपचारिक नियंत्रण प्राप्त करना नहीं होता। इसकी जगह दबाव समूह अपनी माँगों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को प्रभावित करने के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। दूसरे शब्दों में, दबाव समूह सरकार को 'प्रभावित' करने का प्रयास करते हैं जबकि दल सरकार बनाने का प्रयास करते हैं।

दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच एक अन्य अंतर ये है कि जहाँ दबाव समूह एक नीति क्षेत्र पर केंद्रित होते हैं, वहीं राजनीतिक दलों का व्यापक कार्यक्रम होता है जिसमें नीति के सभी (या लगभग सभी) क्षेत्र शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, मज़दूर संघों या मानव अधिकार समूहों का संबंध मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण का प्रोत्साहन या मानव अधिकारों की रक्षा के सीमित लक्ष्यों से होता है। वे शायद ही आर्थिक या विदेश नीतियों में दिलचस्पी रखते हैं, सिवाय तब जब ये नीतियाँ उनके हितों से टकराती हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक दलों की दिलचस्पी राष्ट्रीय विकास से जुडी विविध नीतियों में होती है।

फिर भी, कभी-कभी राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच अंतर इस कारण से अत्यन्त जटिल हो जाता है कि कुछ दबाव समूहों का एक या दूसरे राजनीतिक दल के साथ निकट का संबंध पाया जाता है। वास्तव में, ऐसे दबाव समूह होते हैं जो कुछ राजनीतिक दलों को समर्थन देते हैं जब भी उन्हें ये लगता है कि उनको समर्थन देने से इनके अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दलों की भी दबाव समूहों को लेकर ऐसी ही सोच होती है। दूसरी ओर, ऐसे दबाव समूह भी हैं जो राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गए हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में लेबर पार्टियों की उत्पत्ति उनके श्रमिक जनों के आन्दोलनों से हुई इसी प्रकार, (एम एन एफ) और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप), राजनीतिक दल बनने से पूर्व दबाव समूह थे। परन्तु, सामान्य रूप से, अधिकांश दबाव समूह राजनीतिक दलों के साथ निकट के संबंध स्थापित करने के स्थान पर, उनसे कुछ दूरी रखने का प्रयास करते हैं।

8.4.3 दबाव समूह और नागरिक समाज संगठन

दबाव समूहों को अक्सर नागरिक समाज संगठनों (सी एस ओ) के बराबर माना जाता है। नागरिक समाज संगठन निश्चित हितों की प्राप्ति के लिए, एक देश के नागरिकों द्वारा स्थापित संगठन और संघ होते हैं। जबकि कुछ नागरिक समाज संगठन अपने निजी हितों को प्रोत्साहित करने के लिए हित समूहों के रूप में कार्य करते हैं, अन्य संगठन, अपने समूह के हितों में कुछ लोक नीतियों को लाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। भारत में, लोक सत्ता, जनाग्रह और फाऊंडेशन ऑफ डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (एफ डी आर) जैसे नागरिक समाज समूह, राजनीतिक दलों के लिए पारदर्शिता और खुलासे के साथ वैध निधिकरण के लिए मार्गों के निर्माण के लिए राज़ी कर रहे हैं। इन्होंने भारत में मतदाता पंजीकरण में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। एफ डी आर समूह, विशेष रूप से, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, न्यायपालिका द्वारा त्वरित न्याय के वितरण इत्यादि के लिए भी कार्य करता है। फिर भी, दबाव समूहों को सी एस ओ से जो चीज अलग करती है, वह ये है कि हित-उन्मुख सी एस ओ की तुलना में दबाव समूह अधिक शक्ति केंद्रिक होते हैं। इतना ही नहीं, सी एस ओ की तुलना में, जिनके कार्यक्षेत्र साधारणतया विशाल और विविध होते हैं, दबाव समूहों के क्षेत्र सीमित होते हैं।

अभ्यास प्रश्न 1

नोट: i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अन्त में दिए गए उत्तर से करें।

1. दबाव समूहों की परिभाषा दें। दबाव समूह हित समूहों से किस प्रकार भिन्न हैं?

.....

.....

.....

2. दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बीच अंतर स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

8.5 दबाव समूहों की विशेषताएँ

दबाव समूहों की उत्पत्ति उस समुदाय या समूह के हितों की पूर्ति के लिए हुई जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः, उस निश्चित समूह के सामूहिक हित के आधार पर उनके उद्देश्य और माँग भिन्न होते है। फिर भी, अपने अंतर के बावजूद, दबाव समूह कुछ सामान्य विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। दबाव समूहों की एक मूल विशेषता ये है कि ये न तो चुनाव लड़ते हैं और न ही सरकारी मामलों में प्रत्यक्ष

रूप से उलझने का प्रयास करते हैं। इसके स्थान पर, इनका लक्ष्य लोकनीतियों को अपने पक्ष में कराने के लिए सरकारी अभिकरणों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों पर दबाव डालना होता है। ऐसा राजनीतिक तोल-मोल करते समय, अपनी विशिष्ट माँगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दबाव समूह हमेशा एक तटस्थ राजनीतिक स्थिति कायम रखने का प्रयास करते हैं। अतः, दबाव समूहों को कभी-कभी 'अराजनीतिक' समूह माना जाता है। फिर भी, उस दल या उम्मीदवार के लिए, जो वे सोचते हैं कि उनके हितों के लिए कार्य करेगा, उसके लिए वित्त-प्रबंध या समर्थन द्वारा वे चुनावी राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस संबंध में, दबाव समूह राजनीतिक दलों, राजनीतिज्ञों या सरकार के उच्च पदाधिकारियों के साथ अच्छे संबंध कायम रखने का भी प्रयास करते हैं ताकि अपने समूह के हितों के पक्ष में उनका सहयोग या समर्थन प्राप्त किया जा सके। फिर भी, दबाव समूहों का स्थायी राजनीतिक संबंध नहीं होता और सामान्य रूप से वे अपने समूह के हित को राजनीतिक हितों से ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। अतः वर्तमान की सरकार पर जिस किसी दल का नियंत्रण होता है, वे उस दल का सहयोग प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं।

चूंकि दबाव समूह समाज के निश्चित हिस्सों में से उत्पन्न हुए, उनके कार्य का क्षेत्र सामान्य रूप से सीमित होता हैं। फिर भी, उनकी माँगें अनेक हो सकती हैं (सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक) और समय .समय पर बदल सकती हैं जबकि समूह अखंड रहता हैं। माँगों और उद्देश्यों का ये लचीलापन दबाव समूह की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक व्यक्तिगत उपागम के स्थान पर, एक अन्य विशेषता है। उनका मानना है कि सामूहिक गतिविधियाँ व्यक्तियों की गतिविधियों से अधिक प्रभावशाली होती हैं।

8.6 दबाव समूहों का वर्गीकरण

अनेक विद्वानों द्वारा दबाव समूहों का वर्गीकरण उनकी संरचना और संगठन के आधार पर विभिन्न वर्गों में किया गया है। इनमें से आलमंड और कॉलमैन द्वारा दिया गया चौगुना वर्गीकरण अधिक उपयुक्त और व्यापक रूप से लागू होता है। ये हैं:

8.6.1 संस्थागत दबाव समूह

संस्थागत दबाव समूह वे समूह होते हैं जिनका निर्माण विभिन्न संस्थाओं में किया जाता है, जिनमें सरकारी संस्थाएँ भी होती हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, नौकरशाहियाँ, अस्पताल, पुलिस, इत्यादि। चूंकि इन दबाव समूहों का अस्तित्व डॉक्टरों वकीलों, शिक्षकों जैसे व्यावसायिक रूप से नियुक्त कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित औपचारिक संगठनों में होता है, ये उचित नियमों और विनियमों के अनुसार अत्यंत संगठित होते हैं। अतः, ये व्यावसायिक दबाव समूह के नाम से जाने जाते हैं। भारत में, सिविल सर्विस एसोसिएशन, पुलिस फैमेलीज़ वेल्फेयर एसोसिएशन, डिफेन्स परसोनेल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन इत्यादि सभी समूह इस वर्ग में आते हैं। सरकार में प्रत्यक्ष रूप से उलझे बिना अपने हितों की पूर्ति के लिए इनका निर्माण होता है। चूंकि ये सरकार के निकट होते हैं, ये उसे आसानी से प्रभावित कर सकते

हैं। अपने हित को अभिव्यक्ति और प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि मंत्रालय में एक दबाव समूह बड़ी सरलता और प्रभावशाली तरीके से अन्य मंत्रालयों या नौकरशाहों को किसानों के हितों के पक्ष में मनवा सकता है।

8.6.2 सामुदायिक दबाव समूह

ये समूह अत्यंत संगठित और विशेषीकृत समूह होते हैं जिनका निर्माण सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सामुदायिक दबाव समूह में व्यापारियों और उद्योगपतियों के संगठन शामिल होते हैं जैसे ऐसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स (ऐस्सोकैम), कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (फिक्की) इत्यादि। ये समूह संसाधनों के अपने विस्तृत विन्यास, तकनीकी और प्रबन्धकीय ज्ञान और सरकार के अभिजन समूहों के साथ निकट के संबंधों के बल पर, सर्वाधिक प्रभावशाली दबाव समूहों में होते हैं। इनमें से कुछ समूह इतने शक्तिशाली होते हैं कि राजनीतिक दल भी निधि और अन्य संसाधनों के लिए इन पर आश्रित होते हैं और बदले में सरकार कभी-कभी इन्हें कर में कटौती, शुल्क, व्यापार में छूट द्वारा सहायता देती है। कुछ मामलों में, आर्थिक और वाणिज्यिक पहलुओं वाले प्रधान नीति मुद्दों पर सरकार इन समूहों से सुझाव और परामर्श भी माँगती है। इस वर्ग में मज़दूरों और किसानों के संघ, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (ए आई टी यू सी), भारतीय किसान संघ, भारतीय मज़दूर संघ और विद्यार्थी संगठन जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ए बी वी पी), नैशनल स्टूडेन्ट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एन एस यू आई), स्टूडेन्ट्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया (एस एफ आई) इत्यादि भी शामिल हैं। अतः इस वर्ग को कभी.कभी विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जैसे कारोबारी समूह, व्यापारिक समूह, कृषक समूह, मज़दूर समूह और विद्यार्थी समूह इत्यादि।

8.6.3 गैर-सामुदायिक दबाव समूह

इस वर्ग का संबंध उन समूहों से हैं जो अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं जिन्हें धर्म, संस्कृति और परम्पराओं, बांधव्य, नृजातीयता, जनजातीय संबंधन या पारिवारिक बंधनों इत्यादि द्वारा एक साथ लाया जाता है। इनकी गतिविधियों या माँगों में कोई औपचारिक या संरचनात्मक कार्यविधि नहीं होती। इनकी माँगे या हित स्थायी नहीं होते और आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन भी हो जाते हैं। ये समूह अधिकतर भाषा, जातीयता, धर्म या समाज में अन्य किन्हीं सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित होते हैं। संपूर्ण समुदाय के हित की रक्षा और प्रोत्साहन पर केंद्रित सामुदायिक सेवा में इनकी अधिक दिलचस्पी होती है। अतः इन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक दबाव समूहों के नाम से भी जाना जाता है। भारत में धर्म पर आधारित समूह जैसे विश्व हिन्दू परिषद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति या लोरिक सेना, भूमि सेना, वैश्य समाज, बाल्मिकि समाज इत्यादि जैसे जाति पर आधारित समूह सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक दबाव समूहों के कुछ उदाहरण हैं। इन समूहों का निर्माण निश्चित धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक समुदायों की संस्कृति, परम्परा और आस्थाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लक्ष्य से किया जाता है।

8.6.4 चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह

चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह वे होते हैं जो निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्य से अल्पकाल के लिए प्रकट होते हैं। आलमंड के शब्दों में, ये प्रायः समाज से राजनीतिक प्रणाली के भीतर प्रवेश कराए गए स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं। 'सामान्य रूप से इन समूहों का निर्माण अकाल, सूखा, संसाधनों की दुर्लभ्यता या इस प्रकार की किसी अत्यावश्यकता जैसे अप्रत्याशित क्षणों की प्रतिक्रिया में किया जाता है। चूंकि ये समूह बिना तैयारी के, स्वतः प्रेरित प्रकृति के होते हैं, ये किसी नियम या कार्यविधिक संरचना द्वारा निर्देशित नहीं होते। इसके परिणामस्वरूप, इनका व्यवहार और चाल-चलन भी काफी अप्रत्याशित होते हैं जो अक्सर हिंसक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अकाल राहत समूह जैसे मिज़ोरम में मीज़ो नैशनल फैमिन फ्रंट या आसाम आन्दोलन के दौरान निर्मित असोम गोणो परिषद् को चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह का नाम दिया जा सकता है। एक बार लक्ष्य की पूर्ति हो जाने पर, इनमें से अधिकांश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जबकि कुछ अपने आपको राजनीतिक दलों में परिवर्तित कर सकते हैं जैसा कि महाराष्ट्र में शिव सेना या मिज़रोम में मीज़ो नैशनल फ्रंट (एम एन एफ) के मामलों में हुआ।

अभ्यास प्रश्न 2

नोट: i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अन्त में दिए गए उत्तर से करें।

1. आलमंड और कॉलमैन द्वारा वर्गीकृत किए गए चार प्रकार के दबाव समूह क्या हैं?

.....

.....

8.7 दबाव समूहों की पद्धतियाँ और युक्तियाँ

हम जानते हैं कि दबाव समूह लोकनीति के निर्माण को प्रभावित करने का निरंतर प्रयास करते हैं। इसके लिए ये विभिन्न पद्धतियों और युक्तियों का प्रयोग करते हैं। दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली युक्तियाँ मिलती-जुलती नहीं होती क्योंकि युक्तियों का उनका चयन विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है जैसे राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति, सरकार का नज़रिया, उस निश्चित दबाव समूह की क्षमता और ताकत। ये समूहों के पास मौजूद पद्धतियों की सुलभता और सुविधा पर भी निर्भर करता है। समूह के हितों को अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने वाले किन्हीं भी संभव पद्धतियों का प्रयोग करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। दबाव समूहों द्वारा अपनाए जाने वाली कुछ सामान्य युक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

8.7.1 लॉबिंग (पक्ष-जुटाव)

लॉबिंग का अर्थ दबाव समूहों द्वारा सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास है। लॉबिंग दबाव समूहों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अत्यंत सामान्य और महत्वपूर्ण प्रेरक युक्तियों में एक है। 'लॉबी'

शब्द ब्रिटेन के हाऊस ऑफ कॉमर्स की 'लॉबी' या भवन से उद्दत किया गया है। अतः लॉबिंग का अर्थ व्यक्तिगत सदस्यों या समूहों द्वारा, सामान्य रूप से संसदीय इमारतों की लॉबियों या भवनों में अपने उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिज्ञों, विधानपालिकाओं या जो कोई भी सरकार में हो या नीति-निर्माण की सत्ता में हो, उन्हें प्रभावित करने का कोई प्रयत्न या प्रयास है। लॉबिंग की क्रिया का संचालन बहुत तरीकों से किया जा सकता है, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, प्रतिनिधि मंडलों या प्रतिनिधियों को भेजना, पत्र-लेखन, फोन-कॉल, ई.मेल संवाद या संचार गतिविधि के किसी अन्य रूप के प्रयोग द्वारा, जो अनुनय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यद्यपि, लॉबिंग की क्रिया अत्यंत निजी होती है जिसका मूल रूप से संबंध समूह के व्यक्तिगत सदस्यों की निजी गतिविधियों के साथ होता है, यह विशाल पैमाने पर भी घटित हो सकती है जिसमें अनेक व्यक्तिगत सदस्य उन लोगों को मनवाने और राज़ी करने का प्रयास करते हैं जिनके पास नीति-संबंधी निर्णय लेने की शक्ति होती है, जैसे विधानपालिका के सदस्य, मंत्री या सरकारी अधिकारी इत्यादि। समाचार पत्र, रेडियों, टेलीविज़न इत्यादि जन.माध्यमों (पॉप्युलर मीडिया) में विज्ञापन के द्वारा दबाव समूह सत्ता के बडे पदों पर आसीन लोगों को मनवाने के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। लॉबिंग की प्रक्रिया में, काम पूरा कराने के लिए अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें उपकार, प्रलोभन और भेंट देने की क्रियाएँ भी शामिल हो सकती हैं।

8.7.2 जनमत का निर्माण

अपने मुद्दों और मामलों को उजागर करने और सरकार तक उन्हें पहुचाने के लिए, दबाव समूह जन-मत अभियानों की युक्ति का व्यापक प्रयोग करते हैं। जन.मत अभियान का मूल उद्देश्य व्यापक प्रभाव हासिल करने के लिए मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और जन-सामान्य को भी संवेदनशील बनाना होता है। इसके लिए दबाव समूह अनेक मंचों का प्रयोग करते हैं जैसे जन संचार माध्यम का प्रयोग, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, पर्चे बॉटना, जन सभाओं का आयोजन करना इत्यादि। इस प्रकार के प्रचार अभ्यास के करने से, दबाव समूह, एक ओर जनमत को अपने पक्ष में प्रभावित कर पाते हैं और दूसरी ओर सरकारी नीति की आलोचना भी कर पाते हैं। जनमत को प्रभावित करने का उद्देश्य सरकार को सतर्क करना है ताकि उनकी आवाज़ सुनी जा सके।

8.7.3 प्रोपेगेंडा (अधिप्रचार) और पब्लिसिटी (प्रचार)

अधिप्रचार और प्रचार दबाव समूहों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक अन्य सामान्य तकनीक है। दबाव समूह साधारणतया समाचार पत्र, रेडियों, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि जैसे जन संचार के माध्यम से अपने हितों का प्रचार करते हैं। इसके द्वारा दबाव समूह अपनी माँगों और राय को उजागर करने के साथ.साथ सरकार और साधरण जनता को उन मामलों के बारे में सूचित और शिक्षित करते हैं जो उनके सामूहिक हितों के लिए निर्णायक होते हैं। ऐसा करने से दबाव समूह सत्ताधारी लोगों को अपनी माँगों को मनवाने के लिए आकर्षित और प्रभावित कर पाते हैं।

8.7.4 हडताल और आंदोलन

सामान्य रूप से, दबाव समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। परन्तु, अपनी माँगों के पक्ष में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ये आन्दोलनों को भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी युक्तियों में हडतालें, विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा शामिल हैं। हड़ताल आन्दोलन का एक ऐसा रूप है जो अपनी माँगों की पूर्ति कराने के लिए सरकार या प्राधिकारियों को मजबूर करने के लिए, कार्य पर अल्पकालिक रोक लगाने का प्रयास करती है। ये दबाव समूहों द्वारा अपनाया जाने वाला हड़ताल का सबसे प्रभावशाली और सामान्य रूप है। हड़ताली अक्सर अपने वैध कर्त्तव्यों का पालन करने से इनकार करते हैं और अन्य लोगों को भी अपने कर्त्तव्यों को न निभाने के लिए राज़ी करा सकते हैं। यद्यपि हड़तालों के अधिकांश रूप संवैधानिक और शांतिपूर्ण होते हैं, वे कभी.कभी हिंसक भी हो सकती हैं। बंद और घेराव प्रत्यक्ष कार्रवाई के अन्य रूप होते हैं। बंद, एक हडताल और काम-बंदी या नाकाबंदी का सम्मिश्रण होता है। इसमें भाग लेने वाले आर्थिक गतिविधि से परहेज़ करते हैं और बंद को 'लागू' करने के लिए साधारणतया सड़क रोक का आयोजन करते हैं या दफ्तर, दुकानों और सार्वजनिक परिवहन को बंद कर देते हैं। दूसरी ओर, घेराव के अन्तर्गत, दबाव समूहों के सदस्यों द्वारा सरकारी अधिकारियों को केद रखना शामिल होता है, ताकि वे इनकी माँगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हों। ये पहरा बैठाने की तरह है जिसमें एक कार्य स्थल के बाहर या ऐसे स्थान पर जहाँ कोई घटना घट रही हो, वहाँ एक ध्येय की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोक एकत्रित होते हैं। भारत में अधिकांश दबाव समूह प्रत्यक्ष कार्रवाई के तरीकों पर अधिक और लॉबिंग जैसी क्रियाविधियों पर कम निर्भर करते हैं।

भारत तथा पश्चिमी देशों में दबाव समूह

भारत तथा पश्चिमी देश लोकतंत्र हैं। लेकिन पश्चिमी देशों के भीतर सरकार के राष्ट्रपति और संसदीय रूपों के बीच मतभेद है हालांकि, भारत, जो कि एक संसदीय लोकतंत्र है, पश्चिम के ऐसे देशों से विकास के स्तर के मामलें में अलग है। इसलिए, दबाव समूहों की भूमिका में थी कुछ अंतर हैं। प्रथम, अमरीकी दबाव समूहों को सरकार का चैथा अंग माना जाता है, लेकिन भारतीय दबाव समूह अभी तक राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए है। दूसरे, भारत और ग्रेट ब्रिटेन में, दबाव समूहों का मुख्य निशाना संसद की बजाय केबिनेट और सिविल सेवा है, पैरवी करने के उद्देश्य से। हालांकि, पैरवी करने के लिए अमेरिकी दबाव समूहों का लक्ष्य कांग्रेस और उसकी समितियाँ होती हैं न कि राष्ट्रपति। तीसरा, भारत में, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर दबाव समूह, व्यावसायिक संगठनों जैसे आधुनिक समूहों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। अंत में, अमेरिकी दबाव समूहों कि एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे विदेश नीति के मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं जबकि भारत में दबाव समूह घरेलु नीतिगत मुद्दों और समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं। इन मतभेदों के बावजूद, लोकतांत्रिक राजनीति समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की सेवा के लिए दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करती है।

अभ्यास प्रश्न 3

नोट: i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अन्त में दिए गए उत्तर से करें।

1. दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का प्रयास क्यों करते हैं? दबाव समूहों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली दबाव की कुछ युक्तियों के बारे में विस्तार से लिखें।

.....

.....

.....

2. लॉबिंग क्या है?

.....

.....

.....

8.8 आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह

सामूहिक क्रिया प्रत्येक लोकतंत्र की और वास्तव में अनेक सत्तावादी राज्यों का भी लक्षण होता है। यद्यपि दबाव समूह लम्बे समय से अस्तित्व में रहे हैं और निकट भविष्य में भी कायम रहेंगे, एक लोकतंत्र में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करना कठिन है। ये दबाव समूहों की बहुलता और विविधता के कारण है – इनकी संख्या अत्यधिक है और इनके लक्ष्यों, बनावट और पद्धति की दृष्टि से इनमें अंतर है। कुछ निरंतर राजनीतिक क्रिया में जुटे रहते हैं जबकि अन्य एक.एक कर सविराम ऐसा करते हैं अथवा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद गायब हो जाते हैं। इसे देखते हुए हमारे द्वारा यहाँ की जाने वाली सामान्य टिप्पणियाँ सभी परिस्थितियों में, सभी दबाव समूहों पर लागू नहीं होती।

उन लोगों के लिए, जो दबाव समूह क्रिया के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, ये समूह हमारे लोकतंत्र की वृद्धि करते हैं और राजनीतिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह व्यक्तियों को एक.दूसरे के साथ जुड़ने और अपने हितों और शिकायतों को व्यक्त करने में सक्षम बनाते हैं, जो किसी भी लोकतंत्र में अनिवार्य अधिकार होते हैं। ये गतिविधियाँ, अल्पसंख्यकों को या समाज के उन वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व और स्वर देती हैं जिनका सरकार में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, महिलाएँ, नृजातीय अल्पसंख्यक, गे (समलैंगिक) ट्रांसजेंडर (परालैंगिक) जिनका राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होता है, उन्हें अपने साथ किए जा रहे बर्ताव के प्रति किसी भी नाराज़गी को व्यक्त करने और अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने से रोकने वाली बाधाओं पर विजय पाने में सहायक विचारों का सुझाव देने का अवसर मिलता है।

दबाव समूह क्रिया निर्णयन प्रक्रिया में अधिक व्यापक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करते है। साधारण व्यक्ति राजनीतिक जीवन में केवल चुनाव के समय हिस्सा लेते हैं। चार या पाँच वर्षों में होने वाले चुनाव मतदाताओं को एक व्यक्तिगत विषय पर अपनी पसंद को व्यक्त करने की अनुमति नहीं दे पाते हैं। दबाव समूह व्यक्तियों को राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होने और चुनावों के बीच लोकतंत्र के संचालन के प्रति योगदान देने का अवसर देते हैं।

दबाव समूह जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं, मतदाताओं और वे जिन्हें वे निर्वाचित करते हैं, उन दोनों के बीच एक उपयोगी मध्यस्थ के रूप में जिसके चलते अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति का प्रबंध हो जाता है। ये राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया पर एकाधिकार का विरोध करते हैं। जैसा कि एक राजनीतिक वैज्ञानिक ने व्यक्त किया है 'जो दृष्टिकोण दबाव समूह प्रस्तुत करते हैं, वे वैध हित होते हैं .....दबाव समूहों के बिना आधुनिक लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रतिनिधित्व के एक माध्यम के रूप में, ये मतपेटी के जितने वैध होते हैं ..... ये सरकार और शासित के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं।' (बैगट, 1995)

दबाव समूह सरकार को अक्सर विशेषज्ञ जानकारी उपलब्ध कराते हैं और नीति के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। कुछ सु.संगठित दबाव समूह अक्सर आधिकारिक परामर्श समितियों, सलाहकारी समूहों और आयोगों में भाग लेते हैं। अधिकांश सरकारें नीतियों को कार्यान्वित करने में सलाह, सूचना सुविज्ञ राय और सहायता के लिए इन समूहों पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार, दबाव समूह लोकनीतियों के निर्माण, आकार और कार्यान्वयन में योगदान देते हैं।

अंत में, दबाव समूहों की गतिविधियाँ लोक नीतियों के बारे में जनता को बेहतर जानकार बनाती हैं। ये गतिविधियाँ राजनीतिक प्रणाली और सरकार को जनता की आकांक्षा और माँगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं।

फिर भी, ऐसे आलोचक है, जो ये दावा करते हैं कि दबाव समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जोखिम में डाल सकते हैं और कमज़ोर कर सकते हैं। उनका तर्क है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर, अनिर्वाचित व्यक्तियों के अपेक्षाकृत छोटे समूह नीतियों और कानूनों को प्रभावित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, मार्क्सवादी और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के विद्वान ये दावा करते हैं कि राजनीति पर हमेशा एक छोटी संख्या में लोगों का प्रभुत्व रहता है। मार्क्सवादी विद्वानों के अनुसार, दबाव समूह प्रणाली की सत्ता की चालू संरचना को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें पूंजीवादी वर्ग के कुछ नेता हमेशा इन दबाव समूहों पर नियंत्रण और प्रभुत्व रखते हैं। दबाव समूहों की ये वर्ग-आधारित प्रकृति कमज़ोर बहुसंख्यकों को कम महत्व देते हुए, प्रणाली को शक्तिशाली और संपत्तिवांन वर्ग के पक्ष में सुनिश्चित करती है। दूसरी ओर, वर्गीय सिद्धांत के विद्वान दबाव समूहों, की व्याख्या रॉबर्ट मिशैल्स द्वारा प्रस्तुत 'अल्पतंत्र का लौहनियम' के संदर्भ में करने हैं जो ये दावा करता है कि अल्पसंख्यक, जिन्हें अक्सर 'अल्पतांत्रिक.अधिकारी' कहा जाता है, हमेशा इन संगठनों पर शासन करते हैं। उनके अनुसार, अधिकांश लोग, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग से, प्रधान रूप से असंगठित होते हैं, अतः इनका दबाव समूहों के नेताओं के रूप में उभरना संभव नहीं है क्योंकि इनके पास शक्तिशाली लोगों के विरूद्ध राजनीतिक लड़ाई के लिए न तो संसाधन होते हैं और न ही ताकत।

समूह गतिविधि के आलोचक ये भी तर्क देते हैं कि दबाव समूहों द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ और युक्तियाँ अक्सर भ्रष्ट और भयोत्पादक होती हैं। उदाहरण के लिए, व्यापक-पैमाने वाले प्रदर्शन या विरोध अनेक लोगों को तकलीफ पहुँचा सकते हैं। कभी-कभी प्रत्यक्ष कार्रवाई के तरीके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप विरोधियों और राजकीय उपकरणों के बीच हिंसक टकराव हो जाते हैं। फिर भी विरोध करने का अधिकार किसी भी लोकतंत्र में एक मौलिक अधिकार होता है, विशेष रूप से जब सत्ताधारी ऐसी कार्रवाई करें जो समाज के एक हिस्से के लिए हानिकारक हो। ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यधिक समूह शक्ति हितों द्वारा अपने विशिष्ट दृष्टिकोणों को निर्वाचित प्रतिनिधियों पर थोपने की संभावना तैयार करती है जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे जनता के सामान्य हित को सुरक्षित रखेंगे। दूसरी ओर, अत्यंत कम समूह शक्ति का खतरा ये है कि निर्वाचित सरकार स्वेच्छाचारी तरीके से व्यवहार कर सकती है और लोगों की वैध आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की अवहेलना कर सकती है। चूंकि दबाव समूह आधुनिक राजनीतिक जीवन के अनिवार्य अवयव बन चुके हैं, समूह गतिविधि के अत्यधिक और तर्कसंगत प्रभाव के बीच एक रेखा खींचना आवश्यक हो गया है। सामान्यतया, दबाव समूहों को जो सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करने देती हैं, वे उन सरकारों की तुलना में जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील होती हैं जिनके पास दबाव समूह नहीं होते।

8.9 सारांश

दबाव समूह अपने सदस्यों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, संघ और समूह होते हैं। समाज के विभिन्न समूहों की माँगों और हितों को व्यक्त करने के माध्यम से वे एक देश की लोकतांत्रिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूहों के निर्माण द्वारा सरकार पर दबाव बनाने के साथ-साथ लोग अपने साझे हितों और विश्वासों को सुरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में, अनेक दबाव समूह सरकार को प्रभावित कर पाते हैं और समुदाय के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को बदल पाते हैं। चूंकि ये शासकीय शक्ति के प्रयोग का प्रयास नहीं करते, ये राजनीतिक दलों से कई तरीकों में भिन्न होते हैं। यद्यपि अपनी अवस्थिति और प्रकृति में सदृश होते हैं, दबाव समूह, समाज के अन्य समूहों से भी भिन्न होते हैं जैसे हित समूह या नागरिक समाज संगठन। ये अपने उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और पद्धतियों में अच्छी तरह संरचित, संगठित और औपचारीकृत होते हैं। यद्यपि कुछ दबाव समूहों का अस्तित्व तत्कालिक या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अल्पकाल के लिए होता है, फिर भी अधिकांश दबाव समूह दीर्घकालीन होते हैं और सरकार पर आयोजित दबाव डालते हैं जिसके द्वारा वे अपने समूह के हितों के लिए नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन, दोनों को प्रभावित करते हैं।

8.10 संदर्भ

ऐलन आर.बाल एण्ड जॉन मिलर्ड. (1965). प्रेशर पॉलिटिक्स इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़. ऐल्फ्रेड एण्ड नॉफ, लंदन.

बैगट, रॉब. (1995). प्रेशर ग्रूप्स टुड़े. मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस. मैनचेस्टर.

फाइनर, एस.ई. (1958). इंटरेस्ट ग्रूप्स ऑन फोर कॉंटिनेन्ट्स. यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग प्रेस. पिट्सबर्ग प्रेस: पिट्सबर्ग.

फॉर्मेन एफ.एन.एण्ड एन.डी.जे.बाल्डविन. (1999). मास्टरिंग ब्रिटिश पॉलिटिक्स. मैकमिलन प्रेस: लंदन.

की, वी.ओ.(1969). पॉलिटिक्स, पार्टीज़ एण्ड प्रेशर ग्रूप्स, न्यू यॉर्क: थोमर्स एण्ड क्रोवेल को.

वॉट्स, डंकन (2007). प्रेशर ग्रूप्स. एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस. एडिनबर्ग: लंदन.

8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. व्यक्तियों या संघों के समूह जो नीति के परिणामों को अपने हितों के अनुकूल प्राप्त करने के लिए सरकार की निर्णय .प्रक्रिया पर दबाव या उसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि दबाव समूह 'हित समूहों' के सदृश होते हैं, फिर भी, जहाँ दबाव समूह सरकार की निर्णय प्रणाली को प्रभावित करने का लक्ष्य रखते हैं, वहीं, हित समूहों के सरकार के विरूद्ध दावे नहीं होते और न ही वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं।
2. दबाव समूहों का लक्ष्य होता है, सरकार के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से उलझे बिना निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करना। दूसरी ओर, राजनीतिक दल ऐसे समूह होते हैं जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

1. आलमंड और कॉलमैन द्वारा दबाव समूहों के वर्गीकरण में चार प्रकार शामिल हैं। ये हैं i) संस्थागत दबाव समूह, ii) सामुदायिक दबाव समूह iii) गैर-सामुदायिक दबाव समूह iv) चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह।

अभ्यास प्रश्न 3

1. नीति के परिणामों को अपने पक्ष में कराने के लिए दबाव समूह सरकार पर निरंतर दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए वे विभिन्न तकनीकों को अपनाते हैं जिनमें लॉबिंग, अधिप्रचार, अपील और याचिकाएँ, प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, बंद, बहिष्कार आदि का आयोजन करना

शामिल है। परन्तु उनके द्वारा रणनीतियों और तकनीकों का चयन राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति, समूह की प्रभावशालिता, तकनीकों की उपलब्धि आदि कारकों द्वारा निर्धारित होता है।

2. लॉबिंग का अर्थ सरकार या नीति निर्माण की सत्ता से जुड़े अधिकारियों को, अपने हित के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए, व्यक्तिगत सदस्यों या समूहों द्वारा प्रभावित करने का कोई भी प्रयत्न या प्रयास होता है। इसमें काम पूरा कराने के लिए अधिकारियों या नेताओं को आकर्षित करने के लिए उपकार, प्रलोभन और भेंट देने की क्रियाएँ शामिल हो सकती हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 9 चुनावी प्रक्रियाएँ *

संरचना

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 निर्वाचन व्यवस्था की परिभाषा

9.3 निर्वाचन व्यवस्था के प्रकार

- 9.3.1 बहुलवादी व्यवस्था
- 9.3.2 बहुमतीय व्यवस्था
- 9.3.3 आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था
- 9.3.4 मिश्रित-सदस्य व्यवस्था

9.4 आनुपातिकता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक

9.5 विभिन्न निर्वाचन व्यवस्थाओं के लाभ और हानियाँ

- 9.5.1 बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं के लाभ और हानियाँ
- 9.5.2 आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्थाओं के लाभ और हानियाँ
- 9.5.3 मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं के लाभ और हानियाँ

9.6 सारांश

9.7 संदर्भ

9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक प्रमाण चिन्ह हैं। ये इकाई उन निर्वाचन व्यवस्थाओं का परीक्षण करती है जो विश्व भर में प्रचलित हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

- निर्वाचन व्यवस्था के अर्थ की व्याख्या;
- निर्वाचन राजनीति के अध्ययन में सामान्य रूप से और विशेष रूप से निर्वाचन व्यवस्थाओं के विभिन्न रूपों में प्रयोग की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली की पहचान करना;
- निर्वाचन व्यवस्थाओं के विभिन्न वर्गों का वर्णन और व्याख्या;
- विश्व में प्रचलित निर्वाचन व्यवस्थाओं की तुलना और;
- विभिन्न निर्वाचन व्यवस्थाओं के लाभ और हानियों का विवेचन करना।

* श्री अब्दुल मजीद डार शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

9.1 प्रस्तावना

चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग मतदान के द्वारा एक वैधानिक संस्था में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों का चयन करते हैं। ये संस्था संसद हो सकती है अथवा एक स्थानीय निकाय भी। चुनाव के माध्यम से चयन की ये प्रक्रिया प्रतिनिधि लोकतंत्र से अब लगभग अलग नहीं की जा सकती।

बीसवीं सदी में, चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार एक व्यक्ति एक मत और एक मत एक मूल्य, विस्तृत सार्वजनिक सहभागिता, गुप्त मतदान और निर्वाचकीय निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा और चयन के सिद्धांतों पर आधारित हो गए हैं। जब चुनाव इन सिद्धांतों के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। तब वे केन्द्रीय यंत्रावलियाँ बन जाते हैं जिनके माध्यम से प्रतिनिधि लोकतंत्र की परियोजना साकार हो सकती है। ये प्रतिनिधियों का चयन, सरकारों का निर्माण, सरकारी जवाबदेही और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, जनता को शिक्षा उपलब्ध कराना और जन मत के निर्माण को प्रभावित करना, सरकार के लिए वैधता को सुसाध्य बनाना, लोकनीति और राजनीतिक दलों को प्रभावित करना और मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच संवाद उत्पन्न करने जैसे कार्यों को निष्पादित करते हैं।

इस इकाई का ध्यान उन नियमों पर केंद्रित है जो चुनाव की क्रियाविधि को नियमित करते हैं, अर्थात् निर्वाचन व्यवस्थाएँ। विश्व भर में प्रयोग की जानेवाली विभिन्न निर्वाचन व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए, ये इकाई निम्नलिखित प्रश्नों को संबोधित करने का प्रयास करती है: क्या निर्वाचन व्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण हैं? निर्वाचन व्यवस्था के एक रूप से दूसरे को क्या अलग करती है? क्या वर्तमान निर्वाचन व्यवस्थाएँ लोकतंत्र के दर्शन को संतुष्ट करती हैं? निर्वाचन प्रणालियों और जिन सामाजिक–राजनीतिक संदर्भों में इनका प्रयोग किया जाता है, उनके बीच क्या संबंध है?

9.2 निर्वाचन व्यवस्था की परिभाषा

एक निर्वाचन व्यवस्था को परिभाषित कर मोटे तौर पर, एक निर्वाचन व्यवस्था का संबंध नियमों के उस समूह से है जो चुनावों की क्रियाविधि को नियमित करता है। ये नियम चुनावों के सभी पहलुओं से संबंध रखते हैं जैसे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव आयोजित करने के लिए निर्वाचन यंत्रावली मतदान की प्रकृति, मतपत्र की संरचना, चुनाव अभियान, व्यय और वित्तप्रबंध, जिले का आकार, निर्वाचक द्वार, मतदान की तारीख, मत गणना में निष्पक्षता, चुनावी विवादों का समाधान इत्यादि। इस दृष्टि से, एक निर्वाचन व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है। एक तकनीकी अर्थ में, एक निर्वाचन व्यवस्था का संबंध कानूनी यंत्रावलियों से है जो मतों को सीटों में रूपांतरित करते हैं। निर्वाचन व्यवस्थाएँ 'दलों और उम्मीदवारों के लिए नागरिकों की वरीयता की माँग करने और उन मतों को प्रतिनिधित्व में परिवर्तित करने के नियम होते हैं। (केरी, 2018 पृ. 85)।

एक निर्वाचन व्यवस्था के अन्तर्गत तीन अवयव होते है: मतपत्र की संरचना, निर्वाचन फॉर्मूला और निर्वाचन जिलों का निर्माण और जिला आकार। मतपत्र की संरचना का अर्थ मतों की संख्या है जिनका

प्रयोग एक मतदाता कर सकता है अथवा विकल्पों की संख्या जिन्हें एक मतदाता अभिव्यक्त कर सकता है। मतपत्र सुनिश्चित हो सकते हैं, जो एक मतदाता को एक ही उम्मीदवार के पक्ष में मत देने की अनुमति देते हैं अतः केवल एक ही वोट डालने की अनुमति देते हैं या वियोज्य हो सकते हैं जो एक मतदाता को विभिन्न राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के बीच मतों को विभाजित करने की अनुमति देते हैं। मतपत्र क्रमसूचक भी हो सकते हैं जो निर्वाचन जिले में उम्मीदवारों की सूची के विरूद्ध उम्मीदवारों के क्रम को श्रेणीबद्ध करने की अनुमति देते हैं।

निर्वाचन फॉर्मूला का संबंध मतों को सीटों में परिवर्तित करने की एक निश्चित क्रियाविधि से है। अर्थात् ये उस तरीके का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा मतों को सीटों में बदला जाता है। सामान्य तौर पर, मतों को सीटों में परिवर्तित करने के लिए ऐसी तीन यंत्रावलियाँ हैं बहुलवादी, बहुमतीय और आनुपातिक।

जिला निर्माण का संबंध उस क्षेत्र को पृथक निर्वाचन जिलों में विभाजित करने की प्रक्रिया से है, जहाँ से मतदाता विधानपालिका के लिए अपने प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। निर्वाचन जिला वह है जिसे भारत और ब्रिटेन में हम चुनाव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जिला आकार का संबंध सीटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रत्याशियों की उस संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जिनका किसी भी निर्वाचन जिले से चुनाव होना है। ये एकल-सदस्यीय जिले से लेकर बहुल सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्थाओं (जो एक से अधिक प्रत्याशी के चुनाव की अनुमति देते हैं) तक भिन्न होता है।

अभ्यास प्रश्न 1

नोट: i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अन्त में दिए गए उत्तर से करें।

1) एक तकनीकी श्रेणी के रूप में निर्वाचन व्यवस्था क्या है?

.....

.....

.....

2) निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा दें:

क) मतपत्र की संरचना

ख) निर्वाचन फॉर्मूला

ग) जिला आकार

.....

.....

.....

9.3 निर्वाचन व्यवस्था के प्रकार

वर्तमान समय में जो निर्वाचन व्यवस्थाएँ विश्व भर में प्रचलित हैं, उनमें भिन्नताएँ हैं। ऐसे अनेक भिन्न तरीके हैं जिनके आधार पर निर्वाचन व्यवस्थाओं को वर्गीकृत किया जा सकता हैं। जिला मतपत्र की संरचना, निर्वाचन फॉर्मूला और आकार के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करते हुए हमें चार मुख्य श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं: बहुलवादी व्यवस्था, बहुमतीय व्यवस्था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था और मिश्रित सदस्य व्यवस्था। इसके अतिरिक्त, इन श्रेणियों में से प्रत्येक के अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्थाएँ आती हैं।

9.3.1 बहुलवादी व्यवस्था

चुनाव की बहुलवादी व्यवस्था प्रतिनिधित्व की प्राचीनतम और विस्तृत रूप से व्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाओं में से एक है। इसका उल्लेख अक्सर फर्स्ट-पास्ट-दो-पोस्ट (सर्वाधिक मत प्राप्त व्यवस्था) एक पी टी पी के रूप में किया जाता है। ये बहुलवाद के नियम पर आधारित होती है, अर्थात् जीतने वाला उम्मीदवार वह होता है जिसे एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, इसकी परवाह किए बिना कि उस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत मिला है या नहीं। भारत में इस व्यवस्था का प्रयोग लोक सभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फिलिपाइन्स और वेनेजुएला में भी किया जाता है तथा केनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्न सदनों के सदस्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और मतदाताओं के पास एक वोट होता है जिसे वे राजनीतिक दलों को न देकर, उम्मीदवाद को देते हैं। अतः इसके अन्तर्गत मतपत्र की संरचना सुस्पष्ट होती है। ये व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिकतम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीतता है, इसकी परवाह किए बिना कि इन मतों का क्या प्रतिशत है। उदाहरण के लिए, एक चुनाव जिसमें चार उम्मीदवारों को क्रमशः 33,30,27 और 20 प्रतिशत मत मिलते हैं, विजेता वही उम्मीदवार होगा जिसे मतों का 33 प्रतिशत प्राप्त हुआ। जैसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है, मतों की न्यूनतम संख्या जो चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त हो, घटती है। इस पद्धति को फर्स्ट-पास्ट-दो- पोस्ट व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दौड़ के सदृश है जिसमें जो भी सर्वप्रथम विजय स्तंभ तक पहुँचता है उसे (प्रथम) विजेता घोषित किया जाता है, इसकी परवाह किए बिना कि उसे कितना समय लगा।

9.3.2 बहुमतीय व्यवस्था

ये सुनिश्चित करने के लिए कि जिस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है, उसे पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए हैं, कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। बहुमतीय व्यवस्था अपने दो भिन्न रूपों - टू.राऊंड व्यवस्था (2 आर एस) या द्वितीय बैलेट व्यवस्था और वैकेल्पिक मत व्यवस्था - के साथ ये सुनिश्चित करती है कि जीतने वाले उम्मीदवार को, डाले गए मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त है, अर्थात् 50 प्रतिशत +1 मत। टू.राऊंड व्यवस्था या द्वितीय बैलेट व्यवस्था के अन्तर्गत चुनाव के दो दौरे होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले दौर में पूर्ण बहुमत का फॉर्मूला सफल होता है या नहीं। यदि मतदान के पहले ही दौर में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो उसे

विजयी घोषित कर दिया जाता है। परन्तु, यदि पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो सबसे ऊपर के दो उम्मीदवारों से नीचे वाले सभी उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है और फिर मतदान का दूसरा दौर पहले दो उम्मीदवारों के बीच कराया जाता है जिनमें से एक को मतों का पूर्ण बहुमत मिलेगा। इस व्यवस्था में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और मतदाता अपना मत राजनीतिक दलों को न देकर, उम्मीदवारों को देते हैं। यद्यपि जिन मतदाताओं को एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना पड़ता है, वे पहले दौर में एक दल से दूसरे दौर में एक भिन्न दल का पक्ष ले सकते हैं, फिर भी, वे किसी भी दौर में अपने मत का विभाजन नहीं कर सकते (गैलेघरऔर मिचेल, 2018)। इस संबंध में दो-राऊंड व्यवस्था सुनिश्चित मतपत्र संरचना की श्रेणी में आती है। इसे डबल-बैलेट या रन-ऑफ व्यवस्था भी कहा जाता है।

वैकल्पिक मत व्यवस्था या ऑल्टर्नेटिव वोट सिस्टम (ए.वी) में एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और ये अधिमान्य मतदानपर आधारित होती है, अर्थात् मतदाता एक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार को मत न देकर, सभी उम्मीदवारों को वरीयता के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं। अपनी पहली पसंद को नंबर 1, दूसरी पसंद को नंबर 2, तीसरी पसंद को नंबर 3 इत्यादि। मतों की गिनती पहली वरीयता के आधार पर की जाती है और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि किसी भी उम्मीदवार को मतदाताओं की पहली वरीयता के मतों का बहुमत प्राप्त नहीं होता हैं तो अंतिम स्थान वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसके मतों को बचे हुए उम्मीदवारों में दूसरी वरीयता के अनुसार बाँट दिया जाता है। सबसे निचले उम्मीदवार के उन्मूलन और उसके मतों का बचे हुए उम्मीदवारों में पुनर्वितरित करने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक एक उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हुए (डाले हुए मतों का कम से कम 50 प्रतिशत + 1) विजेता नहीं बन जाता। इस व्यवस्था में, मतपत्र की संरचना क्रमसूचक होती है और मतदाता अपना मत दलों को न देकर उम्मीदवारों को देते हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया में प्रेफेरेंशियल वोटिंग सिस्टम या अधिमान्य व्यवस्था के नाम से और संयुक्त राज्य अमेरिका में इंस्टेंट रन-ऑफ वोटिंग (आई आर वी) के नाम से जाना जाता है।

9.3.3 आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था

आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का आविष्कार उन्नीसवीं सदी में हुआ था। सदी के अंत में या बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में इसे अनेक यूरोपीय लोकतंत्रत्रों द्वारा अपनाया गया (सिवाय ब्रिटेन और फ्राँस के)। ये अनेक राष्ट्रीय संसदीय चुनावों के लिए अधिक वरीय निर्वाचन व्यवस्था बन गई।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था (पी आर) इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक दल की सीटों का प्रतिशत उसके द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट शेयर के सीधे अनुपात में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि विधानपालिका में प्रत्येक दल के हिस्से की सीटें लगभग उसके वोट शेयर के बराबर होती हैं। एक पूर्ण रूप से अनुपातिक व्यवस्था में, एक दल, जिसे उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय मत का 30 प्रतिशत प्राप्त होता है, उसे विधानपालिका में 30 प्रतिशत सीटें मिलती हैं। जैसा कि शब्द द्वारा सूचित किया गया है, आनुपातिक व्यवस्था का अनेक देशों द्वारा अपनाए जाने का प्रधान कारण बहुमतीय व्यवस्थाओं में निहित अनुपातहीनताओं से बचना और डाले गए मतों और जीती गई सीटों के बीच

तुलनात्मक दृष्टि से आनुपातिकता का एक उच्च स्तर प्राप्त करना है। परन्तु, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस व्यवस्था का कोई भी रूप व्यवहार में पूर्ण आनुपातिकता उत्पन्न नहीं करता।

पी आर व्यवस्था के दो मुख्य प्रकार हैं: सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (एस टी वी) या एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था और लिस्ट सिस्टम्स या सूची प्रणालियाँ। सभी पी आर व्यवस्थाओं में जिला आकार का विस्तार बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था और बहुमतीय व्यवस्थाओं से कहीं अधिक बड़ा होता है, अर्थात् इनमें या तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं या एकल सदस्यीय राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, और मतदाताओं को मतदान के लिए एक ही मत मिलता है।

एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और मतदाता अपने मत दलों को न देकर, उम्मीदवारों को देते हैं। मुकाबले में प्रत्येक दल से उतनी संख्या में उम्मीदवार हो सकते हैं जितनी संख्या में उस निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र में सीटें भरी जानी है। वैकल्पिक मत व्यवस्था के समान, ये भी अधिमान्य मतदान का प्रयोग करती है, अर्थात् मतदाता (जिनके पास एकल मत ही होता है) उस निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार को मत देने के स्थान पर उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम से श्रेणीबद्ध करते हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों को एक निश्चित कोटा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसे सामान्य रूप से ड्रुप कोटा के नाम से जाना जाता है, जो न्यूनतम मतों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जिसे विजयी बनने के लिए उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होता है। ड्रुप कोटा इस प्रकार है:

$$q = \{v/(m+1)\}+1,$$

जहाँ q चुनाव के लिए पर्याप्त चुनावी कोटा का प्रतिनिधित्व करता है, V डाले गए वैध मतों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और जिला आकार है, अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र में भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या। उदाहरण के लिए, उस निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ 100,000 वैध मत डाले जाते हैं और जिला आकार चार है, वहाँ ड्रुप कोटा होगा:

$$Q = \{100,000/(4+1)\}+1$$

$$= (100,000/5)+1$$

$$= 20,000+1$$

$$= 20,001$$

इस स्थिति में उन चार सीटों पर केवल उन चार उम्मीदवारों का कब्ज़ा होता है जो चुनावी कोटा को पूरा करते हैं, अर्थात् वे जिन्हें 20,001 या 20,001 से अधिक मत प्राप्त होते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था के अन्तर्गत, मतों की गिनती पहली वरीयताओं के आधार पर होती है। वे उम्मीदवार जिन्हें पहली वरीयता के आधार पर कोटा से अधिक मत प्राप्त होते हैं, वे निर्वाचित हो जाते हैं और उनके अतिरिक्त मत (कोटा से अधिक मत) बचे हुए उम्मीदवारों को दूसरी वरीयता के अनुसार हस्तांतरित कर दिए जाते हैं ताकि निर्वाचन क्षेत्र की सभी सीटें भरी जा सकें। यदि कोई भी उम्मीदवार आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं करता या पहली वरीयताओं के आधार पर अतिरिक्त मतों के हस्तांतरण

के बाद भी यदि सीटें भरी नहीं जातीं, तो अंतिम स्थान पर जो उम्मीदवार होता है, उसे हटा दिया जाता है और उसके मतों को बचे हुए उम्मीदवारों को दूसरी वरीयता के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाता है। निर्वाचित उम्मीदवारों के अतिरिक्त मतों या हटाए गए उम्मीदवारों के मतों को हस्तांतरित करने की ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक निर्वाचन क्षेत्र की सारी सीटें नहीं भर जाती। इस प्रकार, एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था क्रमसूचक मतपत्र संरचना पर निर्भर करती है। इस पद्धति का प्रयोग भारतीय राज्य सभा के चुनावों में किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य विधानसभा एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का कार्य करती है और प्रत्येक विधायक (एम एल ए) का एक हस्तांतरणीय मत होता है। इस पद्धति का प्रयोग हमारे राज्य विधान परिषदों के लिए भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के सीनेट के लिए और माल्टा और आयरलैंड में संसदीय चुनावों के लिए भी होना है।

सूची प्रणाली (लिस्ट सिस्टम) के अन्तर्गत, जिसे अक्सर दल निर्वाचन क्षेत्र होते हैं या एकल, राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात् समूचे देश को एक एकल निर्वाचन क्षेत्र रूप में देखा जाता है (जैसे नीदरलैंड, इज़राइल और स्लोवाकिया में)। प्रत्येक दल सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की एक सूची मतदाताओं के सम्मुख प्रस्तुत करता है। साधारणतया, मतदाता दलों को मत देते हैं, उम्मीदवारों को नहीं, अर्थात् एक व्यक्तिगत उम्मीदवार को मत न देकर, वे दल द्वारा पेश की गई उम्मीदवारों की सूची को मत देते हैं। राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त मतों की कुल संख्या के सीधे अनुपात में दलों को सीटें बाँटी जाती हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक दल को विधानपालिका में उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल मतों के भागफल के अनुसार विधानपालिका में सीटों की संख्या प्राप्त होती है और अपनी प्रकाशित सूची के आधार पर वह इन सीटों को भरता है। उदाहरण के लिए, यदि एक 160 सीटों की विधानपालिका के लिए चुनाव में एक दल को कुल मतों का 20 प्रतिशत प्राप्त होता है, तो उसे आठ सीटें प्राप्त होंगी (160/20) जो उसकी सूची में शीर्ष के आठ उम्मीदवारों को प्रदान की जाती हैं। सूची प्रणाली, पी आर का शुद्ध रूप है।

इज़राइल, दक्षिणी आफ्रीका और स्पेन बंद सूची प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक दल विधानपालिका की सीटों के लिए उम्मीदवारों की एक श्रेणीबद्ध सूची उपलब्ध कराता है और मतदाता दल के लिए मत देते हैं जिसमें उन्हें सूची के व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मत देने का कोई विकल्प नहीं होता या दल द्वारा तैयार की गई सूची में उम्मीदवारों के चयन के क्रम को बदलने का भी कोई विकल्प नहीं होता। प्रत्येक दल उसके द्वारा जीती गई कुल सीटों को अपनी सूची के उम्मीदवारों में श्रेणीबद्ध क्रम से बाँटता है। उदाहरण के लिए, यदि एक दल राष्ट्रीय विधानपालिका में नौ सीटें जीतता है, तो उन नौ सीटों पर उसकी सूची के नौ शीर्ष उम्मीदवारों का कब्ज़ा हो जाता है। इस प्रारूप के अन्तर्गत 'दल के अधिकारी राजनीतिक भर्ती पर विस्तृत नियंत्रण रखते हैं, जिसमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सूची के शीर्ष के निकट शामिल करने की क्षमता भी होती है' (हेग एण्ड हैरप, पृ. 195)। अतः, मतदाता नहीं, दल ये निर्धारित करता है कि उसके कौन से उम्मीदवारों का निर्वाचन होता है।

कोलोम्बिया, फिनलैंड, इंडोनीशिया, चिली, डेनमार्क और नीदरलैंड खुली सूची प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक दल विधानपालिका की सीटों के लिए बिना श्रेणी क्रम को निर्धारित

किए, उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करता है, मतदाता दल की सूची में से अपनी पसंद के व्यक्तिगत उम्मीदवार को मत देते हैं और दल की सूची में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दल द्वारा जीती हुई सीटें मिलती हैं।

9.3.4 मिश्रित सदस्य व्यवस्था

मिश्रित सदस्य व्यवस्था का संबंध उस निर्वाचन व्यवस्था से है जिसमें विधानपालिका की कुछ सीटों को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए बहुलवादी या बहुमतीय फॉर्मूले द्वारा भरा जाता है और अन्य सीटों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा भरा जाता है। उदाहरण के लिए, जर्मनी में राष्ट्रीय विधानपालिका की 50 प्रतिशत सीटें एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बहुलवादी फॉर्मूला द्वारा भरी जाती है। जबकि शेष 50 प्रतिशत सीटें पी आर के दल सूची परिवर्त द्वारा भरी जाती हैं। इसी प्रकार न्यूज़ीलैडं में राष्ट्रीय विधानपालिका के 60 प्रतिशत सदस्यों को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से बहुलवादी फॉर्मूला के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है और बचे हुए 40 प्रतिशत का निर्वाचन दल सूचियों में से किया जाता है। मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं का लक्ष्य एकल सदस्यीय बहुलवादी व्यवस्था से जुडे प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व और पी आर व्यवस्था से जुडे अधिक न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन प्राप्त करना होता है। मिश्रित व्यवस्थाओं में मतदाता दो मतों का प्रयोग करते हैं जिन्हें क्रमशः उम्मीदवार स्तर (बहुलवाद) पर उम्मीदवार.आधारित मत और दल.सूची स्तर (पी आर) पर दल.आधारित मत के नाम से जाना जाता है। एक वियोज्य मतपत्र संरचना पाई जाती है क्योंकि मतदाता अपना मत उम्मीदवार स्तर पर एक दल के उम्मीदवार को दे सकते हैं और यदि वे चाहें तो, दल स्तर पर अपना सूची मत किसी भिन्न दल को दे सकते हैं। (गैलेघरएण्ड मिचेल, 2018)।

मिश्रित-सदस्य व्यवस्था के दो प्रकार होते हैं: मिश्रित-सदस्य आनुपातिक व्यवस्था (मिक्स्ड-मेम्बर परोपोरशनल सिस्टम या एम एम पी) और बहुमतीय मिश्रित सदस्य व्यवस्था (मिक्स्ड-मेम्बर मेजोरिटेरियन सिस्टम) पहले वाले में, उम्मीदवार श्रेणी और दल सूची श्रेणी (क्रमशः निम्नतर श्रेणी और उच्चतर श्रेणी के रूप में कार्य करते हुए) संबंधित होते हैं, इस अर्थ में कि सूची श्रेणी में जीती गई सूची सीटों का प्रयोग एक दल द्वारा जीती गई सीटों की कुल संख्या और उसकी सूची मतों के बीच समग्र आनुपातिकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक उच्चतर श्रेणी के रूप में, दल या सूची श्रेणी एक क्षतिपूरक और सुधारक का कार्य करती है क्योंकि इस श्रेणी में बाँटी गई सीटों का प्रयोग उन दलों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है जो निम्नतर श्रेणी में अल्पप्रतिनिधित्व की स्थिति में रहते हैं और निम्नतर श्रेणी से उत्पन्न अनुपातहीनताओं का संशोधन करने के लिए भी किया जाता है। एक मिश्रित.सदस्य बहुमतीय व्यवस्था में उम्मीदवार श्रेणी और दल सूची श्रेणी एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इस अर्थ में कि दोनों श्रेणियों से प्रतिनिधियों के लिए पृथक सीटें होती हैं और समग्र आनुपातिकता प्राप्त करने के लिए कोई प्रक्रिया उपस्थित नहीं होती। इस व्यवस्था का प्रयोग जापान, रूस और थाइलैंड में किया जाता है।

9.4 आनुपातिकता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक

यद्यपि पी आर के रूप बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं की तुलना में आनुपातिकता के उच्चतर स्तरों को उत्पन्न करते हैं, उनमें से अधिकांश पूर्ण रूप से आनुपातिक नहीं होते क्योंकि उनकी यंत्रावली और व्यावहारिक उपयोग सबसे बड़े दलों को सबसे छोटे दलों के मुकाबले में अधिक लाभ पहुचाते हैं। इतना ही नहीं, आनुपातिकता के स्तर, पी आर के परिवर्तनों के आर-पार बदल जाते हैं। अन्य कारकों में से, जिला आकार का परिवर्ती और निर्वाचक द्वार का उपाय दो ऐसे हैं जो आनुपातिकता के स्तरों को निर्धारित करने के प्रति योगदान देते हैं। जैसे कि जेम्स होगन (1945) द्वारा ध्यान दिलाया गया है, "पी आर में निर्णायक बिन्दु निर्वाचन क्षेत्रों का आकार होता है: निर्वाचन क्षेत्र का आकार जितना बड़ा होता है, अर्थात् जितनी अधिक संख्या में वह सदस्यों का निर्वाचन करता है, उतने ही निकट से नतीजा आनुपातिकता के समीपवर्ती होगा" (पृ. 13)। उदाहरण के लिए, चिली, आयरलैंड और स्पेन में, जिला आकार का माप औसतन क्रमशः केवल 2,3 और 6 होता है। ये लघु जिला आकार, इन देशों में तुलनात्मक दृष्टि से आनुपातिकता की गिरावट का कारण इस अर्थ में बनता है कि ये अधिक विशाल दलों के पक्ष में इस हद तक होता है कि छोटे दल विधानपालिका में सीटें जीतने की अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी ओर, इज़राइल पूरे देश को एक एकल विशाल निर्वाचन क्षेत्र के रूप में मानता है। इज़राइल में ये बड़ा आकार चिली, आयरलैंड और स्पेन की तुलना में आनुपातिकता के उच्चतर स्तरों को उत्पन्न करता है, जो ये सूचित करता है कि छोटे दल भी विधानपालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि नीचा निर्वाचक द्वार भी हो।

कुछ पी आर व्यवस्थाओं में निर्वाचक द्वारों का प्रयोग आनुपातिकता के स्तरों को भी प्रभावित करता है। निर्वाचक द्वार मतों के उस न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे एक दल को विधानपालिका में सीटें हासिल करने के लिए प्राप्त करना होता है। जो दल दिए गए द्वार को पार नहीं कर पाता है, उसे कोई सीटें नहीं मिलतीं। उदाहरण के लिए, इज़राइल में, जहाँ 2014 में निर्वाचन द्वार 3.25 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है, विधानपालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले या सीटें प्राप्त करने वाले दल केवल वे होते हैं जो मतों के 3.25% को पार कर जाते हैं। निर्वाचन द्वार के प्रयोग में विविधता है। नीदरलैंड में ये 0.67%, जापान और डेनमार्क में 2%, स्पेन में 3%, इटली में 4%, जर्मनी, बेल्जियम, हंगरी, न्यूज़ीलैंड और रूस में 5% और तुर्की में 10% है (गैलेघर, 2005)। निर्वाचन द्वारों को आरोपित करने के पीछे ये कारण दिया जाता है कि विधानपालिका के अत्यधिक विखंडन को रोकने और सरकारी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, विधानपालिका में लघुतम उग्रवादी दलों के प्रवेश को रोका जा सके। यद्यपि निर्वाचन द्वारों का आरोपण निश्चित रूप से विधानपालिका की अत्यधिक विखंडन से रक्षा करने के प्रति योगदान देता है, समानान्तर रूप से ये आनुपातिकता की मात्रा को इस अर्थ में घटा देता है, कि लघुतम दल, जो सामान्यतया निर्धारित किए गए निर्वाचन द्वार को पार करने में असफल होते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व हासिल नहीं होता।

अभ्यास प्रश्न 2

नोट: i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तर से करें।

1) बहुलवादी, बहुमतीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित-सदस्य व्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2) टू-राऊंड और एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्थाओं की क्रियाविधि की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

3) आनुपातिकता की मात्रा और जिला आकार और निर्वाचक द्वारों के बीच क्या संबंध है?

.....

.....

.....

.....

9.5 विभिन्न निर्वाचन व्यवस्थाओं का आकलन

पिछले खंड में हमने एक निर्वाचन व्यवस्था के चार मुख्य वर्गों की क्रियाविधियों और विश्व भर में प्रयोग किए जाने वाले उनके परिवर्तों पर प्रकाश डाला। इन निर्वाचन व्यवस्थाओं में से कोई भी उत्तम नहीं है क्योंकि प्रत्येक में मजबूतियाँ हैं और कमज़ोरियाँ भी। प्रत्येक निर्वाचन व्यवस्था के लाभ और हानियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से दो मानदंडों के आधार पर किया जाता है: स्थिरता (सशक्त सरकार) और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व (अधिक प्रतिनिधित्व की सरकार)। पहले मानदंड का संबंध बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं से है जबकि दूसरे वाले का पी आर व्यवस्थाओं से। मिश्रित सदस्य व्यवस्थाएँ दोनों के बीच (स्थिरता और प्रतिनिधित्व) संतुलन स्थापित करने से संबंधित हैं। इन निर्वाचन व्यवस्थाओं के लाभ और हानियों की चर्चा नीचे की गई है।

9.5.1 बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं के लाभ और हानियाँ

बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था और बहुमतीय व्यवस्थाओं के समर्थक आग्रह करते हैं कि ये व्यवस्थाएँ निम्नलिखित लाभ उत्पन्न करती हैं:

1. इनके पास, विशेष रूप से, एफ पी टी पी व्यवस्था के पास, अत्यंत सरल क्रियाविधियाँ होती हैं जिन्हें हर कोई समझ सकता है और ये कार्यान्वित करने में सीधी होती हैं।
2. ये किसी अन्य व्यवस्था की तुलना में, उम्मीदवार की पहचान और अपने प्रतिनिधि के साथ मतदाताओं के तादात्म्य के उच्चतर स्तरों को सुनिश्चित करती हैं क्योंकि उम्मीदवारों से मतदाता परिचित होते हैं जिनका अपने प्रतिनिधियों के साथ मजबूत संबंध होता है।
3. ये, नागरिकों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि की उपलब्धि द्वारा जो उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रति, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, कर्त्तव्यों के पालन के लिए निश्चित रूप से और अकेला जिम्मेदार होता है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की स्पष्टतापूर्वक पुष्टि करती हैं।
4. ये सामान्यतया एकल.दलीय बहुमतीय सरकारें उत्पन्न करती हैं। विधानपालिका में संसक्तिशील बहुमत के कारण ऐसी सरकारों में अधिक सशक्त, प्रभावशाली और स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है।
5. ये लघु उग्रवादी दलों को प्रतिनिधित्व और वैधता हासिल करने से रोकते हुए उग्रवाद को दूर रखते हैं।

बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं से जुडी उपरोक्त सुविधाओं के बावजूद, आलोचकों का तर्क है कि ये व्यवस्थाएँ अपनी निम्नलिखित हानियों के कारण प्रतिनिधित्व के लिए उचित नहीं हैं:

i) इन व्यवस्थाओं में अनेक मत बेकार हो जाते हैं। मान लीजिए चार उम्मीदवारों ए, बी, सी, डी को निर्वाचन क्षेत्र 'X' से चुनाव लड़ते हुए मतों की कुल संख्या (100) के क्रमशः 30,35,20 और 15 मत प्राप्त होते हैं। एफ पी टी पी व्यवस्था के अन्तर्गत, मात्र 35 मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार बी एक विजेता है, जबकि 65 मत, जो हराने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए हैं, 'बेकार मत' बन जाते हैं, ऐसे मत जो किसी भी उम्मीदवार या दल के निर्वाचन के प्रति योगदान नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि 65 मतदाताओं की आवाज़ की अनदेखी हो जाती है।

ii) बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था में ये निश्चित नहीं होता कि जो दल राष्ट्रव्यापी मत का बहुमत प्राप्त करता है, उसे विधानपालिका में सर्वाधिक सीटें मिलेंगी केवल इस कारण से कि विधानपालिका में सीटों को आबंटित करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दल के उम्मीदवारों द्वारा जीते गए मतों की संख्या की नहीं, बल्कि सीटों की संख्या की गिनती की जाती है। ये व्यवस्था कभी.कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जिसमें वह दल जिसे मतों का बहुमत प्राप्त होता है, वह सीटों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है और वह दल जो

मतों की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है, उसे विधानपालिका में सीटों का बहुमत मिलता है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी स्थितियों में, सरकार का निर्माण उस दल द्वारा किया जाता है जो मतों की दृष्टी से दूसरे स्थान पर आता है। ऐसी स्थिति 1974 के आम चुनाव में उत्पन्न हुई। ऐरेंड लिजफैर्ट ने जैसे तर्क दिया है कि ये "शायद बहुलवादी पद्धति का सबसे गंभीर लोकतांत्रिक घाटा है।"

iii) ये छोटे दलों के अल्पप्रतिनिधित्व का कारण होती हैं। सामान्यतया, छोटे दलों के उम्मीदवारों को न तो बहुलवादी फॉर्मूले का लाभ पहुचता है (अधिकांश मत) और न ही बहुमतीय फॉर्मूले का (मतों का 50%+1) जिसके कारण उनके द्वारा जीते गए मत 'बेकार मत' हो जाते हैं। इसी प्रकार, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाएँ भी इन दोनों व्यवस्थाओं में अल्पप्रतिनिधित्व की स्थिति में रह सकते हैं।

iv) बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था सरकार की वैधता को दुर्बल बना देती है क्योंकि ये अक्सर उस सरकार को उत्पन्न करती है जिसका निर्माण उस दल द्वारा किया जाता है जिसने मतों का 35 प्रतिशत भी नहीं जीता होता।

v) ये 'सामरिक मतदान' को प्रोत्साहित करती हैं, अर्थात ये कि मतदाता कभी-कभी अपने ही विकल्पों के विरूद्ध मतदान करते हैं जब उन्हें ये एहसास होता है कि एक निश्चित दल से उनके पसंदीदा उम्मीदवार का उनके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है। अन्य कारणों में, बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था और बहुमतीय व्यवस्थाओं से जुडी इन समस्याओं के कारण, अनेक देशों ने इन व्यवस्थाओं को छोडकर पी आर या मिश्रित.सदस्य व्यवस्थाओं को अपनाया, विशेष रूप से न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को सफल बनाने के लिए। स्वीडन और डेनमार्क ने एफ पी टी पी व्यवस्था से पी आर व्यवस्था की दिशा में क्रमशः 1908 और 1920 में परिवर्तन किया, नार्वे ने 1921 में बहुमतीय व्यवस्था के टू-राऊंड रूप के स्थान पर, पी आर व्यवस्था को अपनाया और न्यूज़ीलैंड ने 1993 में एफ पी टी पी व्यवस्था को छोडकर मिश्रित.सदस्य आनुपातिकता व्यवस्था को अपनाया।

9.5.2 आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्थाओं के लाभ और हानियाँ

साधारणतया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था और बहुमतीय व्यवस्थाओं के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। इस व्यवस्था के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि ये दलों और समूहों की एक व्यापक श्रृंखला को विस्तृत और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व देती है और इस कारण से किसी अन्य निर्वाचन व्यवस्था की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक है। पी आर व्यवस्थाओं से जुड़े मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

1. इनमें 'बेकार मतों' की संख्या बहुत कम होती है क्योंकि सभी दलों को मतों के अपने हिस्से के लगभग कडे अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं।

2. ये छोटे दलों को विधानपालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं क्योंकि उनके द्वारा जीते गए मतों की एकदम उपेक्षा न होकर, सीटों के आबंटन के लिए उनकी गिनती होती

हैं। प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए उन्हें केवल दिए गए निर्वाचक द्वार को पार करने की आवश्यकता होती है।

3. ये दो तरीको से महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को विधानपालिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के विस्तृत अवसर उपलब्ध कराती हैं: सीटों को आबंटित करने के लिए सभी मतों की गिनती की इनकी क्रियाविधि और दल के नेताओं की ओर से ये एहसास (वास्तव में, राजनीति) कि इन दोनों वर्गों के उम्मीदवारों को अपने दल की सूचियों में शामिल किया जाए।

4. बेकार मतों की संख्या बहुत ही कम होने के कारण, पी आर व्यवस्थाएँ बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था और बहुमतीय व्यवस्थाओं की तुलना में राजनीतिक सहभागिता के उच्चतर स्तरों को उत्पन्न करती हैं।

5. ये हितों और विचारों की विविधता को प्रतिबिंबित करने वाली एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व पर आधारित विधानपालिका को उत्पन्न करती हैं।

इन लाभों के आधार पर, इसके समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि पी आर व्यवस्थाएँ अधिक लोकतांत्रिक प्रकृति की होती हैं। इसके बावजूद, जैसा कि हमने पहले देखा ये व्यवस्थाएँ सच्ची आनुपातिकता तभी उत्पन्न कर सकती हैं जब विशाल जिला आकार मौजूद हो और समानान्तर रूप से निचले द्वार भी हों। इसके अलावा, पी आर व्यवस्थाओं की निम्नलिखित हानियाँ हैं:

1. ये प्रतिनिधियों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के बीच की कडी को तोड देती हैं। पी आर व्यवस्थाओं में, विशाल जिला आकार होता है और मतदाता पी आर के सूची रूपों में उम्मीदवारों को मत न देकर दलों को देते हैं। इन दोनों लक्षणों के कारण न तो मतदाता अपने निश्चित प्रतिनिधि के बारे में परिचित होते हैं और न ही प्रतिनिधि, जिनका चयन दल के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई सूची (विशेष रूप से बंद सूची व्यवस्था में) पर निर्भर करता है, स्थानीय स्तर पर मुद्दों के प्रति संवेदनशील होते हैं, अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति उनकी जिम्मेदारियाँ और उत्तरदायित्व अस्पष्ट और लगभग अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा, बंद सूची व्यवस्था मतदाताओं द्वारा एक अलोकप्रिय सदस्य को हटाना मुश्किल कर देती है क्योंकि यदि नए चुनाव में दल दोबारा उसी व्यक्ति के नाम को अपनी सूची में ऊपरी हिस्से में रखे, तो वह निश्चित रूप से अपने दल के आनुपातिक वोट शेयर के आधार पर विधानपालिका में फिर से निर्वाचित हो सकता है।

2. विधानपालिका में दलों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के कारण ये अप्रभावशाली, खंडित विधानपालिकाएँ और कमज़ोर तथा अस्थिर सरकारें उत्पन्न करती हैं जिसके कारण गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। विस्तृत प्रतिनिधित्व के कारण अक्सर कोई एक दल अपने बलबूते विधानपालिका की सीटों का बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थितियों में एक गठबंधन सरकार का निर्माण होता है जो पी आर व्यवस्थाओं का प्रयोग करने वाले देशों में प्रायः उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गठबंधन सरकारें स्वाभाविक रूप से पी आर व्यवस्थाओं से संबंधित होती हैं जिनके अन्दर एक एकल बहुमत दल द्वारा सरकार का निर्माण असंभावित होता है। इसके समर्थक ये आग्रह करते हैं कि

गठबंधन के निर्माण की स्थिति सर्वसम्मति और सौदेंबाज़ी को प्रोत्साहित कर सकती है और इस प्रकार समाज के विस्तृत हिस्सों के विचार के रूप में गठबंधन सरकार की नीतियों की अधिक स्थिर और प्रभावशाली होने की प्रवृत्ति होती है। परन्तु, आलोचक तर्क करते हैं कि सबसे पहले, एक अत्यंत खंडित विधानपालिका में गठबंधन सरकार का निर्माण कठिन होता है और दूसरे, जहाँ इसका निर्माण होता है, ये अस्थिर रह सकता है। अतः, सरकारी अस्थिरता और अप्रभावशाली नीति-निर्माण को उत्पन्न करने के लिए पी आर व्यवस्थाओं की अक्सर आलोचना की जाती है।

3. ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं जिसमें गठबंधन सरकार बनाने वाले दल अपनी चुनावी ताकत के अनुपात के अनुसार शक्ति का प्रयोग न करते हों। बड़े दलों के साथ मोल.तोल करते हुए, छोटे दलों को सत्तारूढ गठबंधन में, इस कारण से असंगत शक्ति(चुनावी ताकत के अतिरिक्त शक्ति) प्राप्त हो सकती है क्योंकि वे अपने समर्थन को किसी अन्य दल के पक्ष में परित्याग करने का दबाव डाल सकते हैं।

4. ये छोटे उग्रवादी दलों को सत्तारूढ़ गठबंधन में अत्यधिक शक्ति हासिल करने के अवसर की उपलब्धि द्वारा उग्रवाद को प्रोत्साहन दे सकती हैं।

9.5.3 मिश्रित सदस्य व्यवस्थओं के लाभ और हानियाँ

मिश्रित-सदस्य में बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था के कुछ लाभ और पी आर व्यवस्था के सूची रूप के कुछ लाभ होते हैं। इन व्यवस्थाओं का उपयोग करने वाले देश, मैथ्यू एस.शुगर्ट और मार्टिन पी. वॉटनबर्ग के अनुसार "दोनों ओर से लाभ" प्राप्त करना चाहते हैं। 1990 के दशक में विभिन्न देशों में, बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था और पी आर व्यवस्थाओं का स्थान मिश्रित व्यवस्थाओं द्वारा लेते हुए देखा गया। उदाहरण के लिए, इटली ने 1993 में सूची पी आर व्यवस्था को छोडकर आंशिक क्षतिपूर्ति के साथ मिश्रित-सदस्य बहुमतीय व्यवस्था को अपना लिया (आगे चलकर, उसने इस व्यवस्था का बोनस-अडजस्टमेंट प्रोपोर्शनल रेप्रजेंटेशन सिस्टम अर्थात् अधिलाभ समायोजन आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के पक्ष में 2005 में परित्याग कर दिया न्यूजीलैंड ने 1993 में एफ पी टी पी व्यवस्था के स्थान पर एम एम पी व्यवस्था को अपना लिया, और जापान ने 1994 में एकल अ-हस्तांतरणीय निर्वाचन व्यवस्था के बदले में एम एम एम व्यवस्था को अपना लिया। अन्य कारणों में से, ये वह कारण है जिसने मिश्रित व्यवस्थाओं को विद्वानों के लिए ध्यान का मुख्य केन्द्र बना दिया और इसके द्वारा बहुलवाद बनाम पी आर पर केंद्रित पारम्परिक बहस ने विपरीत दिशा में मोड ले लिया। अन्य निर्वाचन व्यवस्थाओं की तरह, मिश्रित व्यवस्थाओं के भी अपने लाभ और हानियाँ होती हैं। उनके लाभ, विशेष रूप से उच्च कोटि की अनुपातिकता उत्पन्न करती हैं और समानान्तर रूप से प्रत्येक निर्वाचन जिले के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी प्रतिनिधि उपलब्ध करती हैं। दूसरे, चूँकि बहुत कम संख्या में मत बेकार होते हैं, एफ पी टी पी व्यवस्था की तुलना में इन व्यवस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता का स्तर ऊँचा होने की प्रवृत्ति होती है। तीसरे, इन व्यवस्थाओं में एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अवयव की उपस्थिति दो विशाल दलों की चुनावी ताकत को सशक्त करती है, जिनके लिए व्यक्तिगत सीटों की एक अच्छी संख्या हासिल करना सरल

हो जाता है। यद्यपि छोटे दलों को भी विधानपालिका में प्रतिनिधित्व हासिल होता है, फिर भी दो विशाल दलों का प्रभुत्व, गठबंधन के निर्माण को आसान कर देता है और पी आर व्यवस्थाओं के अन्दर अक्सर निर्मित बहुदलीय गठबंधन सरकारों से अधिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। चौथे, एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अवयव के कारण, ये पी आर के सूची रूपों से ऊँचे स्तर की उम्मीदवार पहचान उत्पन्न करती हैं। अंत में, ये मतदाताओं को उम्मीदवार श्रेणी में एक दल के व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए मत देने और उनका सूची मत अनिवार्य रूप से उस उम्मीदवार के दल को न देकर, एक अन्य दल को देने का विकल्प उपलब्ध करती हैं।

मिश्रित-सदस्य व्यवस्थाएँ समस्याओं से मुक्त नहीं होती। पहले, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अवयव की उपस्थिति आनुपातिकता के स्तरों को सीमित करने के प्रति योगदान देती हैं। एम एम पी व्यवस्था की तुलना में एम एम एम व्यवस्था अधिक असंगतियाँ उत्पन्न करती हैं क्योंकि उसके अन्दर उम्मीदवार श्रेणी (एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अवयव) से उत्पन्न होने वाली असंगतियों को सुधारने की कोई क्रियाविधि नहीं होती। दूसरे, ये, विशेष रूप से एम एम पी व्यवस्था, दलों और मतदाताओं को जोड़-तोड़ की रणनीति को अपनाने पर मजबूर कर सकती हैं, इस प्रकार से कि छोटे दलों और विशाल दल के बीच समझौते के आधार पर, छोटे दल के समर्थक उम्मीदवार को देते हैं ताकि उनके उम्मीदवार-आधारित मत को बेकार होने से बचाया जा सके जबकि बदले में, विशाल दल के समर्थक सूची श्रेणी में अपना सूची मत छोटे दल को (उनके दल का सहयोगी भागीदार) देते हैं ताकि उसे निर्वाचक द्वार पार करने में सक्षम बनाया जा सके। तीसरे, ये प्रतिनिधियों के दो असमान वर्ग उत्पन्न करती हैंः एक उम्मीदवार श्रेणी से जो बिना सुरक्षा के निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करता है, और दूसरा, सूची श्रेणी से, जो मंत्री का पद संभालते हुए दल के अन्दर भी प्रभुत्व का आनन्द लेता है। चौथे, ये दल के अधिकारियों को अधिक महत्वपूर्ण और प्रबल बना देती हैं क्योंकि एम एम पी व्यवस्था के समान, दल द्वारा सूची श्रेणी में जीते गए मतों की संख्या दल के प्रतिनिधियों की कुल संख्या को निर्धारित करती हैं। अंत में, दल सूची अवयव के कारण, ये बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्थाओं की तुलना में उम्मीदवार पहचान के निचले स्तर उत्पन्न करती हैं।

अभ्यास प्रश्न 3

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।
ii) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तर से करें।

1. एफ पी टी पी व्यवस्था के कुछ लाभों को सूचीबद्ध करें।

.....

.....

2. बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी और पी आर व्यवस्थाओं के बीच दो मुख्य अंतर क्या हैं ?

.....

.....

3. 'बेकार मत' क्या है? किस व्यवस्था में अधिकांश मत बेकार हो जाते हैं?

.....

.....

.....

9.6 सारांश

हमारे पास निर्वाचन व्यवस्थाओं के विभिन्न रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट लक्षणों और निर्वाचन क्रियाविधियों द्वारा अंकित हैं। इनमें से कोई भी पूर्ण और उत्तम नहीं हैं। मिचेल गैलेघर ने निर्वाचन व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के लिए आठ मानदंडों की पहचान की है जो इस प्रकार हैं: मतदाताओं की वरीयताओं के प्रतिनिधित्व की परिशुद्धता, विधानपालिका में सामाजिक जनसांख्यिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति प्रतिनिधियों का निजी उत्तरदायित्व राजनीतिक सहभागिता के उच्च स्तर संसक्तिशील और अनुशासित दल स्थिर, सशक्त और प्रभाव शाली सरकार सरकार के विकल्पों की अभिज्ञेयता और सरकारों को सत्ता से हटाने के लिए मतदाताओं के लिए अवसर। विश्व भर में जो निर्वाचन व्यवस्थाएँ उपयोग में हैं, वे इन सभी मानदंडों की पूर्ति नहीं करती हैं, सिवाय मिश्रित-सदस्यीय आनुपातिक व्यवस्था जो लगभग इनके निकट आती है। प्रत्येक व्यवस्था की प्रासंगिकता, वैधता और विश्वसनीयता उस प्रसंग पर निर्भर करती है जिसमें वह कार्य करती है और उस देश तथा उसकी जनता की प्राथमिकताओं पर। गैलेघर ने जैसे आग्रह किया है कि "कौन सी निर्वाचन व्यवस्था "उत्तम" है, ये निर्भर करता है केवल इस पर कि हम एक निर्वाचन व्यवस्था से क्या चाहते है।" जो देश स्थिर और प्रभावशाली सरकारों को, प्रतिनिधियों का अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति उच्च जवाबदेही और जिम्मेदारियों और निष्कासनीय सरकार को सर्वोच्य प्राथमिकता देते हैं वे बहुलवाद पर आधारित फर्स्ट-पास्ट-दि-पोस्ट व्यवस्था और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग करने वाली बहुमतीय व्यवस्थाओं को अपनाते हैं। एक एकल, राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रयोग करने वाली बंद सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था उन देशों में पाई जा सकती है जो आनुपातिकता का उच्च स्तर और दलों के अनुशासित रूप की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पी आर का एकल हस्तांतरणीय मत परिवर्तन और खुली सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था उन देशों को आकर्षित कर सकती है जो आनुपातिकता के साथ राजनीतिक सहभागिता के उच्च स्तरों और प्रतिनिधियों की जवाबदेही का लक्ष्य रखते हैं।

9.7 संदर्भ

डाउन्स, डब्ल्यू.एम. (2011). एलेक्टोरल सिस्टम्स इन कंपैरिटिव पर्सपेक्टिव. जे.टी इशियामा, एण्ड एम.ब्रनिंग (सं0) में, 21 स्ट सेंचुरी पोलिटिकल साइन्स: ए रेफेरेन्स हैंडबुक (खंड.1) (पृ. 159-167), लंदन और नई दिल्ली: सेज.

एवन्स, जे.ए.जे.(2009). एलेक्टोरल सिस्टम्स, जे.बारा, एण्ड एम.पेन्निगटन (सं) में, कंपैरिटिव पॉलिटिक्स: एक्सप्लेनिंग डेमोक्रैटिक सिस्टम्स (पृ. 93.119), नई दिल्ली: सेज.

फारेल, डी. (2001). एलेक्टोरल सिस्टम्स: ए कंपैरिटिव इंट्रोडक्शन: बेसिंगस्टोक: पॉलग्रेव मैकमिलन.

गैलेधर, एम., एण्ड मिचेल, पी. (2005). दि पॉलिटिक्स ऑफ एलेक्टोरल सिस्टम्स (सं.). न्यू यॉर्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

हेरान, ई.एस., पेक्कानेन, आर.जे., एण्ड शुगार्ट, एम.एस. (2018). दि ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ऐलेक्टोरल सिस्टम्स (सं.). न्यू यॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) एक तकनीकी दृष्टि से, एक निर्वाचन व्यवस्था का संबंध कानूनी यंत्रावलियों से है जो मतों को सीटों में परिवर्तित करती हैं। इस अर्थ में, उसके अन्तर्गत तीन अवयव होते हैं: मतपत्र की संरचना, निर्वाचन फॉर्मूला और निर्वाचन जिलों का निर्माण तथा जिला आकार।

2) मतपत्र की संरचना का अर्थ मतों की संख्या होती है जो एक मतदाता दे सकता है या विकल्पों की संख्या होती है जिन्हें एक मतदाता अभिव्यक्त कर सकता है। ये सुनिश्चित, वियोज्य या क्रमसूचक हो सकते हैं। निर्वाचन फॉर्मूला का संबंध मतों को सीटों में परिवर्तित करने के लिए एक निश्चित क्रियाविधि से है। जिला आकार का संबंध प्रति निर्वाचन क्षेत्र में सीटों की संख्या से है।

अभ्यास प्रश्न 2

1) बहुलतावादी व्यवस्था दर्शाती है कि जीतने वाले उम्मीदवार केवल सर्वाधिक मत प्राप्त करने होते हैं। बहुमतीय व्यवस्था के अन्तर्गत जीतने वाला उम्मीदवार वह होता है जिसे मतों का बहुमत प्राप्त होता है। पी आर व्यवस्था के अन्तर्गत विधानपालिका में प्रत्येक दल के सीटों का हिस्सा उसके वोट शेयर के लगभग समानुपातिक होता है। मिश्रित सदस्य व्यवस्था के अन्तर्गत, एफ पी टी पी व्यवस्था पर आधारित बहुलवाद के कुछ लक्षण होते हैं और कुछ पी आर के सूची रूप के होते हैं।

2) टू-राऊंड व्यवस्था में यदि पहले दौरे में किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो मतदान के दो दौरे होते हैं। एस टी वी व्यवस्था में जीतने वाले उम्मीदवारों को एक निश्चित कोटा हासिल करने की आवश्यकता होती है, जिसे सामान्यतया ड्रुप कोटा के नाम से जाना जाता है और इस कोटा को प्राप्त करने के लिए मतों का हस्तांतरण किया जाता है।

3) लघु जिला आकार और उच्च निर्वाचक द्वार आनुपातिकता के स्तर को घटाते हैं और विपरीत क्रम से।

अभ्यास प्रश्न 3

1) सरलता, उम्मीदवार पहचान के उच्चतर स्तर और लोकतांत्रिक जवाबदेही और शक्तिशाली तथा स्थिर सरकारें।

2) दोनों के बीच अंतर के बिंदु है उम्मीदवाद पहचान के स्तर और जवाबदेही और प्रतिनिधित्व की मात्रा।

3) वो मत जो किसी भी उम्मीदवार या दल के निर्वाचन के प्रति योगदान नहीं देते। बहुलवाद पर आधारित एफ पी टी पी व्यवस्था में बेकार मतों की संख्या अन्य निर्वाचन व्यवस्थाओं से कहीं अधिक होती हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY